कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 10 पृष्ठ : 52 अगस्त 2020 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

₹

भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 9 जुलाई, 2020 को इंडिया ग्लोबल वीक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दो कारकों के साथ नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है। पहला, भारतीय प्रतिभा और दूसरा, भारत की सुधार और कायाकल्प करने की क्षमता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के प्रतिभा–बल, विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग और तकनीकी पेशेवरों के योगदान को अत्यधिक मान्यता दी जाती है। उन्होंने भारत को प्रतिभा का पॉवरहाउस बताया जो योगदान देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सुधार करना देशवासियों की प्रकृति में है और इतिहास बताता है कि भारत ने हर चुनौती पर जीत हासिल की है, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक।

उन्होंने कहा कि जब भारत पुनरुत्थान की बात करता है, तो यह है: देखभाल के साथ पुनरुत्थान, करुणा के साथ पुनरुत्थान, पुनरुत्थान जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सतत है।

प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के बारे में बताया, जैसेः संपूर्ण वित्तीय समावेशन, आवास और ढांचागत संरचनाओं का रिकॉर्ड निर्माण, कारोबार करने में आसानी, जीएसटी सहित साहसिक कर सुधार आदि। प्रधानमंत्री ने कहा कि अदम्य भारतीय भावना के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से आज सरकार को लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है, जिसमें निःशुल्क रसोई गैस, बैंक खातों में नकदी, लाखों लोगों को मुफ्त अनाज और कई अन्य चीजें शामिल हैं।

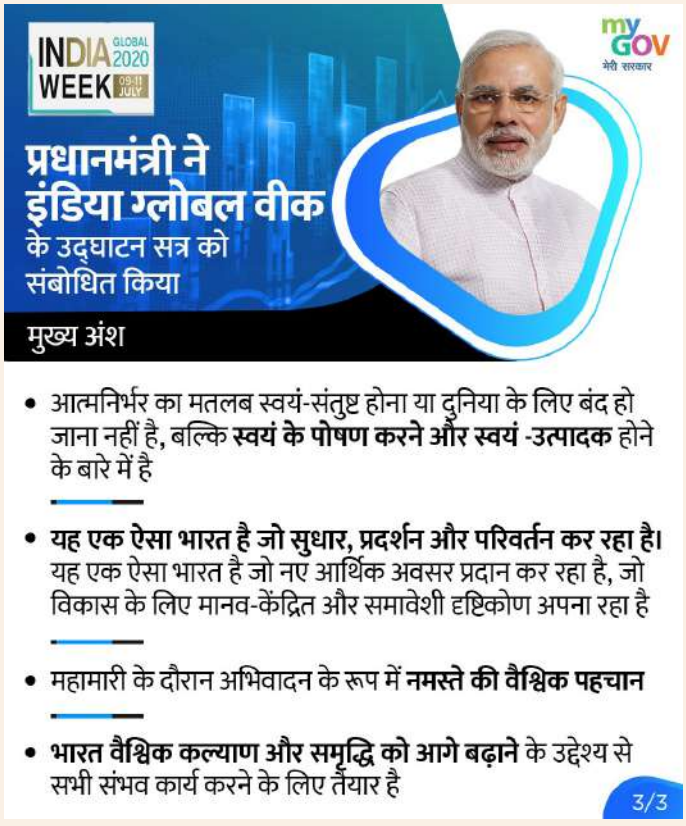

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत को विपुल संभावनाओं और अवसरों का देश बताया।

उन्होंने कृषि क्षेत्र में शुरू किए गए विभिन्न सुधारों के बारे में बताया और कहा कि यह वैश्विक उद्योग को एक बहुत ही आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनतम सुधार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं और वे बड़े उद्योग को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के अवसर मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत का फार्मा उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक परिसंपत्ति है। फार्मा उद्योग ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए दवाओं की लागत को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब स्वयं–संतुष्ट होना या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है, बल्कि स्वयं के पोषण और स्वयं–उत्पादक होने के बारे में है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा भारत है जो सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है: नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है: मानव–केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कल्याण और समृद्धि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी संभव कार्य करने के लिए तैयार है।

स्रोत : पीआईबी

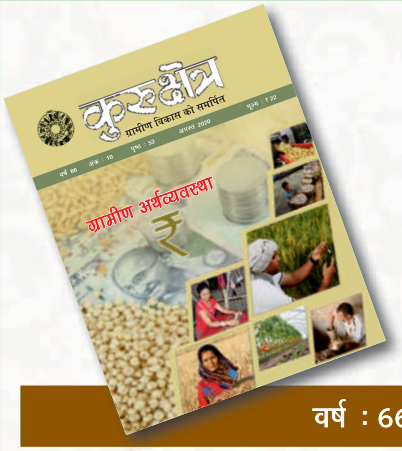

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 52 ★ श्रावण–भाद्रपद 1942 ★ अगस्त 2020

प्रधान संपादक: धीरज सिंह

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : के. रामालिंगम

आवरण : राजेन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

ग्रामीण अर्थव्यवस्था : मज़बूती की ओर	प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़	5
कृषि क्षेत्र में सुधारों की मज़बूत नींव	भुवन भास्कर	11
आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर	सन्नी कुमार	16
एमएसएमई : देश की आर्थिक रीढ़	ऋषभ कृष्ण सक्सेना	22
ग्रामीण भारत के विकास इंजन प्रवासी श्रमिक	डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव	30
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में बैंकों की भूमिका	सतीश सिंह	35
किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास	संतोष पाठक	40
कोरोना काल में स्वयंसहायता समूहों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान	हेना नकवी	44
कोविड योद्धा आशाकर्मी	---	48
ए-आई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत	---	50

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079–26588669

संपादकीय

महात्मा गांधी ने कहा था ''हमारे देश का भविष्य गांवों में निवास करता है।'' कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखे तो गांधीजी का यह कथन बेहद सटीक है। निसंदेह कोविड महामारी के इस बुरे दौर से जब पूरी दुनिया गुज़र रही है तो ऐसे में हमारे देश के 'गांव' और 'किसान' ही हैं जो देश की डांवाडोल होती अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए हुए हैं।

तकरीबन डेढ़ महीने तक लॉकडाउन के बाद देश में कई चरणों में विभिन्न क्षेत्रों को अनलॉक किया जा रहा है और धीरे–धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। लेकिन ग्रामीण भारत में लॉकडाउन के दौरान भी कृषि कार्य यथावत चलते रहे। यही नहीं, सरकार ने किसानों और प्रवासी मज़दूरों के लिए कई राहत योजनाओं की घोषणाएं की जिससे किसी को रोज़ी–रोटी की दिक्कत न हो। सरकार की नीतियों के चलते इस दौरान किसानों को फसल कटाई में कोई परेशानी नहीं हुई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आने वाले वक्त में देश में अहम बदलाव का आधार तैयार करना है जिसकी विस्तृत चर्चा इस अंक में की गई है।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर 'संकट' के समय को कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए एक 'अवसर' में बदलने की कोशिश की है। सरकार की ये घोषणाएं दूरगामी हैं और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन बदलाव लाने का दम रखती हैं। किसानों की आय बढ़ाने और गांव लौटे श्रमिकों को खेती के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका बेहद अहम है। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा यही उद्योग प्रभावित हुए। इन उद्योगों को उबारने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन उद्योगों को राहत पैकेज के साथ–साथ इनसे जुड़े नियम–कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। एमएसएमई को दी राहतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, इसकी चर्चा इस अंक में की गई है।

कोविडकाल में प्रवासी मज़दूरों के गांवों की तरफ पलायन के वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को संभावनाओं में बदला जा सकता है बशर्ते हम इस चुनौती का उपयोग अपनी कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए एक रचनात्मक अवसर के रूप में करें। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने कई कृषि–आधारित तकनीकें विकसित की है जो इन वापिस लौटने वाले श्रमिकों को कौशल–आधारित नौकरियां प्रदान कर समर्थ बना सकती हैं। अपने पैतृक गांवों की ओर लौटे इन प्रवासी मज़दूरों को कौशल प्रशिक्षण देना समय की मांग है।

संकट को अवसर में बदलने में स्वयंसहायता समूहों ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समूह बड़े पैमाने पर मास्क, सेनिटाइज़र, पीपीई किट आदि का उत्पादन कर ग्रामीण अर्थव्यस्था में अपना अहम योगदान दे रहे हैं जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई, 2020 को प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में भी की। यही नहीं, किसी भी आपदा में अपने समुदाय की तरफ मदद का हाथ बढ़ाना भी इन स्वयंसहायता समूहों की पहचान है।

संक्षेप में, कोरोना से निपटने के लिए की गई तालाबंदी और कोरोना से तात्कालिक रूप से उबर आने के बाद भी कई महीनों तक देश को भुखमरी से बचाने का श्रेय खेती–किसानी को ही जाता है। ऐसे में खेती–किसानी पर ज़ोर देना सरकार की नीतियों में प्राथमिकता पर है जिसके चलते सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए है। आने वाले वर्षों में खेतीबाड़ी की तरफ बड़ी संख्या में किसानों/मज़दूरों के जुड़ने की संभावना है। ऐसे में, वापस खेती से जुड़ने वाले ग्रामीण परिवारों को बेहतर ज़िंदगी देना सरकार की प्राथमिकता होगा, ऐसी उम्मीद है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था : मज़बूती की ओर

आत्मनिर्भर भारत अभियान से गांवों का कायाकल्प

–प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने कई रणनीतिक और उपयोगी योजनाएं शुरू की हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। सरकार ने अब 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नया अध्याय लिखा है। इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशाल पैकेज की घोषणा की गई है। इसका मकसद आने वाले वक्त में देश में अहम बदलाव का आधार तैयार करना है।

भारत अब दुनिया की एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। हमारे देश में न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है बल्कि यहां सभ्यता, अलग–अलग संस्कृतियों, भाषाओं आदि की समृद्ध विरासत रही है। यह कई धर्मों, ऋषियों, नेताओं, बड़े वैज्ञानिकों वगैरह की जन्मस्थली रही है।

भारत में अर्थव्यवस्था, तकनीक, सामाजिक सुधार, शासन प्रणाली, स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने और लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत मुख्य तौर पर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। इसकी दो तिहाई आबादी और 70 प्रतिशत कार्यबल ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है। कोरोना महामारी की वजह से विकसित और विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियों को काफी चोट पहुंची है। भारत ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि इस संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। भारत में 49.7 करोड़ कामगार हैं, जिनमें 94 प्रतिशत निजी या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का ज़्यादा जोर असंगठित क्षेत्र पर है, जो मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने कई रणनीतिक और उपयोगी योजनाएं शुरू की हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। सरकार ने अब 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की शुरुआत कर भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नया अध्याय लिखा है। इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार तेज़ करने के लिए 20

> "जब भारत आत्मनिर्भर होने की बात करता है, तो यह आत्मकेंद्रित प्रणाली की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में पूरी दुनिया की खुशी, सहयोग और शांति के लिए चिंता है।"
>
> –प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

लाख करोड़ के विशाल पैकेज की घोषणा की गई है। इसका मकसद आने वाले वक्त में देश में अहम बदलाव का आधार तैयार करना है।

महामारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कोरोना महामारी के फैलने के साथ ही, पूरी दुनिया में खपत, विनिर्माण, निर्यात और पूंजी के प्रवाह में अभूतपूर्व संकट देखने को मिल रहा है। इस वजह से अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं। खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संकट और गहरा है। इन चार चीज़ों पर आर्थिक मंदी के असर को देखते हुए भारत सरकार ने **'आत्मनिर्भर भारत अभियान'** की शुरुआत की है। इस अभियान में स्वास्थ्य, रोज़गार और वित्तीय सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए सरकार के पैकेज में पर्याप्त बजट का इंतज़ाम किया गया है। इसके तहत अस्पतालों की आपातकालीन स्वास्थ्य जरूरतों के लिए बजट का प्रावधान है और संकट के दौरान और इसके बाद रोज़गार और कर्मचारियों की सुरक्षा करने की भी बात है। इसके अलावा, गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को सीधे तौर पर वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए भोजन और आजीविका संबंधी मदद भी दी जा रही है।

सरकार ने 'कल्याणकारी गणराज्य' के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संकट की इस घड़ी में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज का ऐलान किया। संकट के इस दौर में इसे निर्णायक पहल माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक पैकेज के ऐलान से सुधार संबंधी कदमों की नई शुरुआत हुई है ताकि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को महामारी के प्रतिकूल असर से बचाया जा सके।

साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना

भारत सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की रणनीति तैयार करने के लिए सरकार ने अंतर–मंत्रालय कमेटी का गठन किया है। आय दोगुनी करने से जुड़ी यह कमेटी इस लक्ष्य से जुड़े सभी मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसका खाका तैयार करेगी। कमेटी ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सात स्रोतों की पहचान की है।

कृषि क्षेत्र में

1) फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी;
2) पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी;
3) उत्पादन लागत में संसाधनों/बचत का बेहतर इस्तेमाल;
4) एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसल तैयार करने पर ज़ोर;
5) ऊंची कीमत वाली फसलों का विविधीकरण और
6) किसानों को मिलने वाली कीमत में बढ़ोतरी।

कृषि क्षेत्र के बाहरः कृषि संबद्ध कार्यों की तरफ बढ़ना (जैसे पोल्ट्री का काम, बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी, फल–सब्जियां, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह जिनसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है)

किसानों की आमदनी दोगुनी करने की रणनीति से जुड़े सुझावों पर अमल की निगरानी के लिए सरकार ने 23 जनवरी, 2019 को एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई थी। किसानों की आय दोगुनी करने का अभियान चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कृषि क्षेत्र में (i) विकास संबंधी पहल (ii) तकनीक और (iii) नीति संबंधी सुधार पर फोकस किया जाए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनी कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कदम इस तरह हैं:

i) राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के ज़रिए बाज़ार में अहम सुधारों पर काम;

ii) मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को लागू करके राज्य सरकारों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (ठेके पर खेती) को बढ़ावा देना, ग्रामीण हाटों को अपग्रेड करना ताकि ये किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीदारी का प्रमुख केंद्र बन सकें;

iii) किसानों को ई–नाम की सुविधा उपलब्ध कराना। यह इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है;

iv) किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटना ताकि

रासायनिक खाद के इस्तेमाल को सीमित किया जा सके;

v) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के ज़रिए कृषि कार्यों में पानी का बेहतर और संतुलित इस्तेमाल सुनिश्चित करना– "प्रति बूंद ज़्यादा फसल";

vi) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसलों के लिए बेहतर बीमा कवरेज, ताकि खेती का जोखिम कम किया जा सके;

vii) किसानों को सस्ती दर (4 प्रतिशत सालाना) पर कर्ज़ उपलब्ध कराना और पशुधन और मछली से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मुहैया कराना;

viii) सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी करना और

ix) बुजुर्ग छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये तक की पेंशन मुहैया कराना। इसके तहत पहले 3 साल में 5 करोड़ लाभार्थियों को इसके दायरे में लाना।

ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए मोटे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा, बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान के शुरू होने से काफी पहले, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिए रणनीति तैयार कर उस पर अमल किया था। इसमें आय दोगुनी करने के लिए साल 2022 का लक्ष्य भी रखा गया था। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो इससे किसानों की आय दोगुनी करने के अभियान को भी मदद मिली। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में जुटी है और इसके बदले किसानों की आय बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक पैकेज के साथ जोड़ा गया है, ताकि कोरोना महामारी से निपटा जा सके।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने 13 मई से लेकर 17 मई, 2020 तक, पांच चरणों में इस अभियान का ऐलान किया। इस मिशन के तहत, प्रवासियों और किसानों समेत गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ इस तरह हैं:

i) 25,000 करोड़ की कर्ज़ सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई। इससे किसानों को महामारी से प्रभावित हुए बिना अपनी खेती का काम जारी रखने में मदद मिलेगी;

ii) मार्च 2020 से अप्रैल 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में 86,600 करोड़ के तकरीबन 63 लाख कर्ज़ को मंज़ूरी दी गई;

iii) इसके अलावा, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फंड के तहत मार्च 2020 के दौरान राज्यों को ग्रामीण आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई;

vi) सरकार ने लघु, छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का भी ऐलान किया है, ताकि इस महामारी की चुनौतियों से निपटा जा सके। इस योजना के ज़रिए 12 सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र के 16 बैंक को एमएसएमई के लिए कर्ज़ देने की अनुमति दी गई है।

इन योजनाओं का मकसद एमएसएमई के लिए ऐसे फंड की अतिरिक्त उपलब्धता बढ़ाना है जहां उधारकर्ताओं की तरफ से गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का भुगतान नहीं होने पर सरकार कर्ज़ देने वाले संस्थानों को होने वाले नुकसान की पूरी–पूरी भरपाई करने का आश्वासन देती है।

v) इसके साथ, मुद्रा योजना के तहत विभिन्न फायदे उपलब्ध कराए गए हैं। शिशु लोन के तहत 2 प्रतिशत सालाना ब्याज पर एक साल के लिए कर्ज़ दिया जाएगा। इस मद में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम से कारोबारियों को शिशु उद्योगों में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

vi) मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारी की समस्या से निपटने का कारगर हथियार उभरकर सामने आया है। हाल में मनरेगा के तहत मज़दूरी की दर बढ़ाकर 202 रुपये (पहले यह 182 रुपये थी) कर दी गई है। इससे तकरीबन 13.62 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। कोरोना संकट के कारण अपने गांव लौटने वाले मज़दूरों के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं;

vii) इसके अलावा, गरीबों और प्रवासी मज़दूरों को मुफ्त में खाद्यान्न (हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो चना) भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को भी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। कोरोना के पांव पसारने के बाद प्रवासी मज़दूरों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रवासी मज़दूरों को 'एक देश एक कार्ड' योजना के तहत जन वितरण प्रणाली का इस्तेमाल करने की सुविधा दी है;

viii) प्रधानमंत्री किसान योजना के ज़रिए 8.7 करोड़ किसानों के खाते में दो–दो हजार की रकम ट्रांसफर की गई है। इस कदम से बड़े पैमाने पर किसानों को वित्तीय मदद मिली है;

ix) केंद्र की मौजूदा सरकार ने 'वोकल फॉर लोकल' (देश में बनी चीजों को प्राथमिकता) का नारा दिया है। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय–स्तर पर उपलब्ध उत्पादों को अहमियत दी जाएगी। इस सिलसिले में असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यह एक अच्छी पहल है और इससे किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

इन योजनाओं से ज़्यादातर लोगों (खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में) को फायदा होगा और संरक्षणवाद को बढ़ावा दिए बिना भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनने में सफल होगी। आत्मनिर्भरता के लिए अभियान के साथ ही, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकने के लिए प्रतिबद्ध है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी सरकारी योजनाएं

भारत में कोरोना महामारी के आगमन से काफी पहले, नवंबर 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पाने की क्षमता तैयार करने, कौशल विकास, किसानों/खेतिहर मज़दूरों आदि को बैंक का कर्ज़ मुहैया कराने के लिए योजना का ऐलान किया था। इससे पता चलता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सिलसिलेवार और रणनीतिक तरीके से योजना तैयार कर इस पर अमल कर रही है।

इसके अलावा, सरकार की इन योजनाओं से किसानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी हैं और इनसे गांवों के लोगों की ज़िंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है:

i) कॉयर उद्यमी योजना: यह कॉयर इकाई स्थापित करने के लिए क्रेडिट लिंक वाली सब्सिडी योजना है। ऐसी परियोजनाओं की लागत 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी की भी जरूरत होती है जो परियोजना लागत का 25 प्रतिशत से ज़्यादा होना चाहिए।

ii) कौशल विकास और महिला कॉयर योजना : इस योजना का मकसद घरेलू और विदेशी बाज़ारों का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिलाओं का सशक्तीकरण, रोज़गार/उद्यमिता का विकास, कच्चे माल का बेहतर इस्तेमाल, कॉयर कर्मियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है। महिला कॉयर योजना का मकसद उचित कौशल प्रशिक्षण के बाद सब्सिडी पर कताई से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना है।

iii) प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम : यह योजना,

दो योजनाओं का मिला–जुला रूप है–प्रधानमंत्री रोज़गार योजना और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम। यह क्रेडिट लिंक वाला सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में छोटे उद्यमों की स्थापना कर रोज़गार के अवसर बढ़ाना है।

iv) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण : प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) का मकसद ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए घर मुहैया कराना है। इसके तहत कच्चे और जर्जर मकानों में रह रहे लोगों के लिए साल 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से लैस पक्का घर मुहैया कराना है।

v) दीनदयाल अंत्योदय योजना : इस योजना का मकसद शहरी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसके तहत कौशल विकास के ज़रिए आजीविका के लिए अवसर प्रदान किए जाने की बात है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना में चरणबद्ध तरीके से जरूरी सेवाओं से लैस ठिकाना मुहैया कराया जाता है।

vi) उजाला 2019 : इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था जिसके तहत सस्ती कीमत में एलईडी बल्ब मुहैया कराया जाता है। इस योजना का मकसद बिजली की खपत कम करना है। ताकि बिजली बिल कम होने के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी संभव हो सके। योजना के तहत मीटर कनेक्शन वाले सभी ग्राहक संबंधित बिजली वितरण कंपनी से बाज़ार मूल्य के 40 प्रतिशत मूल्य पर एलईडी बल्ब प्राप्त कर सकते हैं।

vii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रशिक्षण योजना का मकसद बड़ी संख्या में युवाओं (ग्रामीण और शहरी दोनों) को उद्योग–आधारित कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराना है, ताकि उन्हें आजीविका का बेहतर साधन हासिल करने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण और आकलन से जुड़ी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाने के मकसद से इस योजना को और 4 वर्षों (2016–2020) के लिए मंजूरी दी गई।

viii) आयुष्मान भारत : यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका मकसद 10 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इससे बड़े पैमाने पर किसानों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।

ix) पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित और अपग्रेड करने के लिए फंड (स्फूर्ति) : इस योजना का मकसद क्लस्टर–आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है, जिसमें बांस, शहद और खादी पर विशेष ध्यान देने की बात है। इससे ग्रामीण कार्यबल की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

x) नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा : इस योजना के तहत 2019–20 में आजीविका के लिए कारोबार इनक्यूबेटर (एलबीआई) और तकनीक कारोबार इनक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए गए, ताकि कृषि–ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 उद्यमी तैयार किए जा सकें।

xi) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई): इसका मकसद अगले 5 साल में 20,000 करोड़ के निवेश से मछली का उत्पादन 2.20 करोड़ मीट्रिक टन (LMT) तक पहुंचाना है। इससे मछली पालन के प्रबंधन ढांचे को मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी, मसलन आधुनिकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण आदि।

आगे की राह

शहरीकरण में जबर्दस्त बढ़ोतरी के बावजूद साल 2050 तक देश की आधी से ज़्यादा आबादी के ग्रामीण इलाकों में ही रहने का अनुमान है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना देश के

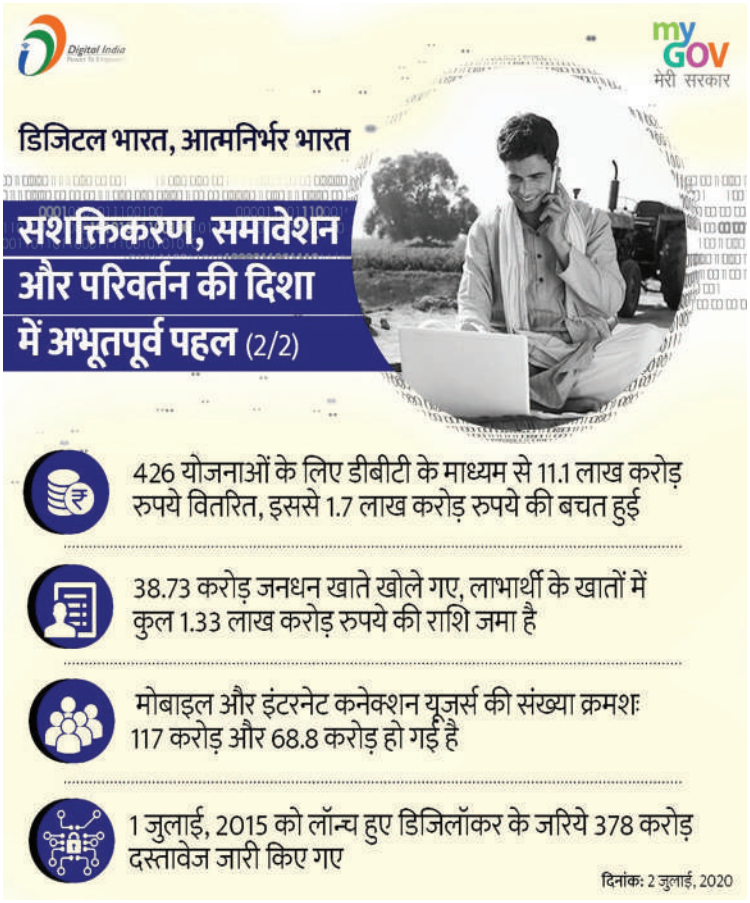

सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए काफी अहम है। ऐसे में योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है, ताकि **'आत्मनिर्भर भारत'** का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसके लिए कुछ अहम क्षेत्रों में तत्काल सुधार की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरह हैं–

i) मनरेगा में जरूरी बदलाव करना, ताकि इस योजना को लागू करने में किसी भी तरह के कुप्रबंधन से बचते हुए गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चूंकि सरकार का ज़ोर जन–धन बैंक खातों के ज़रिए आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर है, इसलिए कुप्रबंधन को दुरुस्त किया जा सका है;

ii) ऐसे युवाओं को उद्यमी या स्वरोज़गार के लिए तैयार करना, जो आजीविका के स्थानीय सिस्टम से जुड़े हैं;

iii) छोटे–स्तर पर मुर्गीपालन/अंडा उत्पादन और बकरी पालन को बढ़ावा देना और इससे जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराना;

iv) छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादन संगठनों को प्रोत्साहित करना;

v) रासायनिक खाद के प्रचुर इस्तेमाल पर आधारित खेती से पर्यावरण के अनुकूल खेती की तरफ बढ़ने के लिए किसानों के साथ काम करना;

vi) गांव के उद्यम की सफलता के लिए गांवों को सड़कों से और डिजिटल तौर पर जोड़ना जरूरी है। इसमें सड़क/हाइवे से राहत मिलेगी और कल्याणकारी योजनाओं में सुधार होगा;

vii) क्लस्टर–आधारित खास तरह की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों के संगठनों को सहयोग, मछली पालन और पशुओं से जुड़े किसानों के लिए कर्ज़ उपलब्ध कराना;

viii) पशुओं, मछली, डेयरी, सब्जी, फल और खाद्य प्रसंस्करण के काम में ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है और इनसे आमदनी भी अच्छी होती है।

शोध और विकास के मोर्चे पर दशकों तक उपेक्षा, बाज़ार की कमी, निर्यात नीति में अस्थिरता आदि के बाद मौजूदा संकट इस क्षेत्र के लिए एक अवसर हो सकता है। सरकार ग्रामीण विकास से जुड़ी अपनी योजनाओं के ज़रिए इन चीज़ों पर फोकस कर रही है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का यह कथन बेहद सटीक है कि भारत आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मकेंद्रित प्रणाली की वकालत नहीं करता, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता में पूरी दुनिया की खुशी, सहयोग और शांति के लिए चिंता है। यह तभी हासिल किया जा सकता है, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान को सही तरीके से लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए सिरे से मज़बूत किया जाए। यह अभियान देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सुधारवादी पैकेज की तरह है।

आज के दौर में ग्रामीण भारत न सिर्फ उपभोक्ता सामानों बल्कि दोपहिया वाहनों, खेती से जुड़े उपकरण, निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों के विकास का इंजन है। लिहाज़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए बिना देश के बाकी हिस्सों में विकास की रफ्तार तेज़ नहीं होगी। ऐसे में रणनीतिक वित्तीय योजनाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

सरकार अर्थव्यवस्था में सुधारों को लागू करने में जुटी है, ताकि आने वाले दिनों में इसका आर्थिक लाभ उठाया जा सके। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने की राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भी ज़िम्मेदारी बनती है और उन्हें इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। यह सामूहिक प्रयास आखिरकार किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा और अगर हमारे किसानों की तरक्की होती है, तो निश्चित तौर पर हमारे देश का विकास होगा। अगर ऐसा होगा, तो महात्मा गांधी जी ये शब्द हकीकत बन जाएंगे, ''भारत का भविष्य इसके गांवों में है।''

(लेखक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति हैं।)
ई–मेल : vc@cuh.ac.in

कृषि क्षेत्र में सुधारों की मज़बूत नींव

–भुवन भास्कर

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर कोरोना के संकटकाल को कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए एक अवसर में बदलने की कोशिश की है। सरकार की कुछ घोषणाएं तो ऐसी हैं, जिन्होंने तुरंत परिणाम दिए हैं। जिस समय नौकरीपेशा मध्य वर्ग और मज़दूरों को असीम आर्थिक संकट सहने पड़े हैं, उस समय भी किसानों ने इस महामारी के भयंकर झंझावात को बेहतर तरीके से संभाला है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार की वे घोषणाएं हैं, जो दूरगामी हैं और जो देश के कृषि क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल देने का दम रखती हैं।

कोविड–19 के कारण पैदा परिस्थितियों ने पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे उबरने के लिए अब तमाम देशों की सरकारें अपनी–अपनी तरह से कोशिशें कर रही हैं। भारत ने भी हालात को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन तमाम आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन ने हर किसी को ठहर कर सोचने के लिए विवश किया है।

जिस समय कोरोना के कहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, उस समय देश का किसान अपनी 3–4 महीनों की मेहनत का फल समेटने की तैयारी कर रहा था। रबी की फसल या तो कट चुकी थी और किसान के पास बिकने के लिए पड़ी थी, या फिर कटने के लिए पूरी तरह तैयार थी और खेत में खड़ी थी। जिन किसानों ने हार्वेस्टिंग पूरी कर ली थी, उनके सामने विकट समस्या थी कि उसे बेचे कहां क्योंकि न तो माल कहीं ले जाने के लिए परिवहन उपलब्ध था और न ही उसे बेचने के लिए मंडियां या व्यापारियों की दुकानें खुली थीं। जिन किसानों की फसलें खेत में खड़ी थीं और उन्हें तुरंत काटा जाना आवश्यक था, उनके लिए मज़दूर, मशीनों की उपलब्धता इत्यादि बड़ी समस्या बनकर सामने थीं। इतना ही नहीं खरीफ की बुवाई की तैयारी भी किसानों के लिए एक चुनौती थी क्योंकि बीज, खाद इत्यादि की सभी दुकानें भी बंद थीं।

किसान आर्थिक तौर पर देश के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल हैं और इन परिस्थितियों में यह आशंका सबके सामने थी कि इस लॉकडाउन के परिणाम किसानों के लिए भयानक साबित हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की अवधि खत्म होते–होते जो खबरें सामने आईं, वे न केवल राहत भरी थीं, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि कृषि आज भी देश का सबसे मज़बूत आर्थिक अंग है और भारत का किसान अपनी किस्मत का रुख स्वयं मोड़ देने में सक्षम है, यदि उसे सरकार का थोड़ा–सा सहयोग मिल जाए।

लॉकडाउन के तुरंत बाद सरकार ने किसानों को अपना माल बेचने में सुविधा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। ये कदम तीन चरणों में उठाए गए, जिन्हें फौरी राहत, मध्यम अवधि की राहत (खरीफ की बुवाई में सहयोग) और दीर्घकालिक राहत (आने वाले महीनों और वर्षों में कोरोना के असर को निष्प्रभावी करने और कृषि के विकास के लिए मज़बूत आधार तैयार करने) की श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

किसानों के लिए फौरी राहत

प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलना था। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन 1.0 खत्म होने का इंतजार किए बिना रबी की फसल काटने और बेचने के मुहाने पर बैठे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए राहत का पहला चरण प्रारंभ किया। अप्रैल के पहले हफ्ते में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई–नाम) की चौथी वर्षगांठ (14 अप्रैल) के अवसर पर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की। इसमें राज्यों से कहा गया कि वे वेयरहाउसिंग क्षेत्र के नियामक वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त सभी वेयरहाउस को तीन

महीनों के लिए मंडी का दर्जा दें और किसानों को यह सुविधा दी जाए कि वे इन वेयरहाउस से ही ई–नाम के ज़रिए ऑनलाइन अपनी उपज बेच सकें।

दरअसल केंद्र का यह राज्यों से अपने पुराने वादे को पूरा किए जाने का अनुरोध था, जो उन्होंने ई–नाम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते वक्त किया था। इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए राज्यों को केंद्र से सब्सिडी का भुगतान किया जाता है और ऐसे 18 राज्य तथा 3 केंद्रशासित प्रदेश हैं, जो इससे जुड़ चुके हैं।(1) इससे जुड़ते समय राज्यों को अपने एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में सुधार कर केंद्र के मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने का वचन देना होता है। ऐसा करने पर एक तो पूरे राज्य को एक एपीएमसी मंडी लाइसेंस के दायरे में लाने की शर्त होती है और दूसरा, उन्हें डब्ल्यूडीआरए से मान्यता–प्राप्त गोदामों को उप–मंडी का दर्जा देना होता है। कई राज्य जिन्होंने ई–नाम में जुड़ने के लिए सब्सिडी का लाभ ले लिया है, वे भी अब तक एपीएमसी कानून में अपेक्षित सुधार नहीं कर सके हैं। ऐसे ही राज्यों के लिए केंद्र ने यह नोटिफिकेशन जारी किया।

राज्यों के इस कदम से किसानों को अपना माल बेचने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें अपनी उपज मंडियों की जगह सिर्फ पास के वेयरहाउस में ले जाने की आवश्यकता होगी। फिलहाल (17 जुलाई तक) देश में डब्ल्यूडीआरए से मान्यता–प्राप्त कुल 1795 वेयरहाउस हैं।(2) इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने उसी अधिसूचना में यह भी कहा कि डब्ल्यूडीआरए से मान्यता–प्राप्त वेयरहाउस से ऑनलाइन बेचे जाने वाले माल के लिए किसानों को इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ईएनडब्ल्यूआर) जारी किया जाए।

ईएनडब्ल्यूआर साल 2017 में शुरू किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है, जो सिर्फ डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त वेयरहाउस ही जारी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रसीद है, जो निगोशिएबल है यानी जिसे खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और हस्तांतरित भी किया जा सकता है। डब्ल्यूडीआरए से मान्यता–प्राप्त वेयरहाउस को ही ईएनडब्ल्यूआर जारी करने का अधिकार दिए जाने के पीछे यह कारण है कि किसी भी वेयरहाउस को कुछ मानक सुविधाएं प्रदान करने पर ही यह मान्यता मिलती है। इन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण यहां लाई जाने वाली उपज की ग्रेडिंग और असेईंग है, जिनसे फसलों की सही गुणवत्ता की जानकारी मिलती है। इस गुणवत्ता को ईएनडब्ल्यूआर पर दर्ज किया जाता है, जिससे कि यह इंस्ट्रूमेंट किसी भी खरीदार या कर्ज़ देने वाली संस्था के लिए एक भरोसेमंद दस्तावेज़ की तरह काम करता है।

इन वेयरहाउस को मंडी का दर्जा देने और यहां से ई–नाम के ज़रिए किसानों को माल बेचने की सुविधा देने और उस माल के लिए ई–एनडब्ल्यूआर की सुविधा देने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना का महत्व समझने के लिए इसके काम करने के तरीके को समझना आवश्यक है। इस व्यवस्था के तहत किसान देश के लगभग 1800 वेयरहाउस में अपना माल लेकर जा सकते हैं, जहां पहुंचते ही इनके माल की ग्रेडिंग, असेईंग कर उसके लिए ईएनडब्ल्यूआर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उनका माल ई–नाम के ज़रिए ऑक्शन होगा और जैसे ही उन्हें खरीदार मिल जाएगा, तो वे सीधे उसे ईएनडब्ल्यूआर की बिक्री कर सकते हैं। इस तरह उन्हें माल को वास्तविक रूप में खरीदार के पास भेजने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि किसी किसान को यह लगे कि उसकी फसल को उचित कीमत की बोली नहीं मिल रही है, तो वह ईएनडब्ल्यूआर के आधार पर किसी भी बैंक या गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) से कर्ज़ भी ले सकता है और माल को वहीं वेयरहाउस में रखकर कुछ किराए के एवज में सही भाव मिलने तक इंतज़ार कर सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ये निर्देश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आए और इसलिए शायद ही देश के किसी हिस्से से किसानों द्वारा अपना माल न बेच पाने की शिकायत आई।

मध्यम अवधि में राहत के उपाय

इस अधिसूचना को जारी करने के कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन 2.0 की घोषणा होने के अगले ही दिन 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, जिसका पूरा फोकस दरअसल किसानों को उनकी फसलों की बिक्री और अगले सीज़न की बुवाई के लिए सुविधा देना था। इस दिशानिर्देश में कहा गया कि, '20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां शामिल हैं। कृषि में काम आने वाली मशीनें, उनके कल–पुर्जे, सप्लाई चेन, मरम्मत और मशीनों से संबंधित 'कस्टम हायरिंग सेंटर' खुले रहेंगे।' सरकार के इस एक कदम से किसानों को एक ओर जहां रबी की

फसलों को बेचने का ज़रिया मिला, वहीं खरीफ की बुवाई के लिए तमाम साधन भी उन्हें उपलब्ध हो गए।

सरकारी एजेंसियों ने बेहतरीन काम करते हुए तमाम मुश्किलों के बावजूद खरीद के ज़्यादातर लक्ष्यों को हासिल किया। पंजाब ने जहां 31 मई की समय–सीमा से लगभग एक पखवाड़ा पहले ही 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल कर लिया, वहीं मध्य प्रदेश ने 8 जून तक की गई खरीद में करीब 30 हजार टन से पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं की खरीद करने वाले राज्यों में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य में गेहूं खरीद की आखिरी तारीख 15 जून थी, तो जाहिर है अगले एक हफ्ते में राज्य ने और बड़ी मात्रा में खरीद की होगी। सिर्फ 8 जून तक की गई खरीद के आंकड़े ही देखें, तो यह पिछले साल की 73.69 लाख टन खरीद के मुकाबले 74 प्रतिशत ज़्यादा है।

लॉकडाउन में सामाजिक दूरी के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4529 खरीदी केंद्र तैयार किए, जोकि पिछले साल के 3535 केंद्रों के मुकाबले करीब एक–तिहाई ज़्यादा थे। ज़िला कलक्टरों को हर केंद्र के लिए किसानों की संख्या तय करने का अधिकार देकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि केंद्र के आधार पर किसानों को एसएमएस भेजा जाए। किसानों को एसएमएस के ज़रिए केंद्रों पर अपना माल लेकर बुलाया गया, और इस तरह राज्य ने सफलतापूर्वक एक नया कीर्तिमान रचा।

पूरे देश में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म होने से एक दिन पहले तक रबी सीज़न 2020–21 के तहत छह राज्यों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में 2.61 लाख टन दालों और 3.17 लाख टन तिलहन की खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई इस खरीद के माध्यम से सरकार ने 3.25 लाख से अधिक किसानों को 2682 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जोकि एक किसान के लिए औसत 83000 रुपये से कुछ ज़्यादा है। लॉकडाउन के समय किसानों के लिए यह रकम कितनी मूल्यवान रही होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है।

सरकार की ओर से की गई जबर्दस्त खरीद और किसानों को इनपुट और मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का नतीजा खरीफ सीज़न की बुवाई पर साफ दिखा। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019–20 के दौरान जहां देश में कुल 94.2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खरीफ की बुवाई की गई, वहीं चालू साल के दौरान यह क्षेत्रफल बढ़कर 1.313 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। यह इत्तफाक नहीं हो सकता कि जब तमाम बाज़ार बंद थे, सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ा था और रेल सेवा आंशिक तौर पर चल रही थी, उस समय देश के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत ज़्यादा ज़मीन पर बुवाई का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। दरअसल इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सरकार द्वारा किसानों तक बुवाई के लिए आवश्यक हर संभव साधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सुव्यवस्थित योजना का इसमें बड़ा योगदान है।

यदि अलग–अलग फसलों की बुवाई का आंकड़ा देखें तो एक बहुत ही खास रुझान सामने आता है। जहां चावल की बुवाई का रकबा पिछले साल के 10.28 लाख हेक्टेयर से घटकर 10.05 लाख हेक्टेयर रह गया, वहीं दालों की बुवाई का रकबा 2.22 लाख हेक्टेयर से दोगुना होकर 4.58 लाख हेक्टेयर हो गया। गन्ने की बुवाई में पिछले साल के मुकाबले महज 62000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई और यह 48.62 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा, वहीं तिलहन का रकबा साल भर में 1.63 लाख हेक्टेयर से लगभग 800 प्रतिशत बढ़कर 14.36 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। यही हाल कॉटन में भी दिखा, जहां रकबा पिछले साल के 18.18 लाख हेक्टेयर से 50 प्रतिशत बढ़कर 28.77 लाख हेक्टेयर पहुंच गया, जबकि जूट की बुवाई साल भर पहले के मुकाबले 30,000 हेक्टेयर कम होकर 5.78 लाख हेक्टेयर रही। यहां तक कि मोटे अनाज की बुवाई का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले करीब 150 प्रतिशत बढ़कर 19.16 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। बुवाई के आंकड़ों को यदि 1 जून को खरीफ फसलों के एमएसपी में की गई बढ़ोतरी के साथ मिलाकर देखें, तो एक साफ रुझान दिखता है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की 1 जून को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन फसलों के एमएसपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है, उनमें नाइजर सीड और तिल जैसी तिलहन, उड़द जैसी दलहन और कॉटन जैसी नकदी फसल शामिल हैं।

दीर्घावधि में कृषि को मज़बूती देने के लिए किए गए फैसले

कृषि और किसानों को कोविड–19 के दुष्प्रभावों से बचाने के

लिए दो बड़े–बड़े फैसले लेने के बाद अलग–अलग सेक्टरों के लिए दिए जाने वाले पैकेज की शृंखला में 15 मई को वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कृषि के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रमों और सुधारों की घोषणा की। इनमें पहले 8 बिंदुओं में सरकार ने कृषि और किसानों के लिए बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और बेहतर लॉजिस्टिक्स से संबंधित घोषणाएं कीं, जबकि आखिरी के 3 बिंदु ढांचागत सुधारों से संबंधित हैं। वित्तमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा फंड बनाने की बात कही, जिससे किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खेत से फसल के निकलने और मंडी तक पहुंचने के बीच उसे साफ करने और उसकी ग्रेडिंग करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

क्लीनिंग और ग्रेडिंग ऐसी गतिविधियां हैं, जिन्हें पूरा कर किसान अपनी फसलों की कीमत में आसानी से 20–40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं, जिसके कारण किसान की सारी फसल की कीमत उसके सबसे घटिया हिस्से के आधार पर लगा दी जाती है और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। वित्तमंत्री ने 2020–21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत सालाना की ब्याज छूट देने की घोषणा की, जिससे 2 करोड़ किसानों तक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकदी पहुंचने की संभावना है। सरकार ने यह कदम कोरोना के कारण दूध की मांग में 20–25 प्रतिशत की कमी को देखते हुए किसानों को फौरी राहत पहुंचाने के लिए उठाया है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के फॉर्मलाइज़ेशन के लिए 10000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' विज़न के तहत वित्तमंत्री ने यह घोषणा की।

मत्स्य पालन के विकास के लिए दो घोषणाएं की गई, जिनमें पहली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसके तहत फिशरीज के विकास पर 20000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत 55000 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मरीन कैप्चर फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के कामकाज में इनलैंड फिशरीज़ को भी शामिल करने की घोषणा की गई। दो और घोषणाएं पशुपालन से संबंधित हैं, जिनमें 13,343 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने और 15000 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन का फैसला किया गया।

कोरोना काल में पूरी दुनिया में प्रकृति के साथ सहजीविता और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। इसे किसानों के लिए एक वाणिज्यिक अवसर में बदलने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसका इस्तेमाल अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय चिकित्सकीय पौधा बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर ज़मीन का एक ऐसा कॉरिडोर भी विकसित करेगा, जिसमें चिकित्सकीय पौधे लगाए जाएंगे। इनके अलावा, मधुमक्खी पालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया गया, जिसके तहत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, संग्रहण, विपणन और भंडारण केंद्र, पोस्ट–हार्वेस्ट और मूल्यवर्द्धन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आमदनी में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इन सबके साथ सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का दायरा टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से बढ़ाकर उसमें सभी फलों और सब्जियों को शामिल करने का भी फैसला किया।

वर्षों से रुके कृषि सुधारों पर फैसला

निश्चित तौर पर 8 बिंदुओं में की गई इन घोषणाओं से किसानों, पशुपालकों, मधुमक्खीपालकों और मत्स्य पालन का काम करने वालों को वित्तीय सहायता मिलेगी, लेकिन वित्तमंत्री ने जो आखिरी 3 घोषणाएं कीं, उनका प्रभाव और महत्व ऐतिहासिक है। दशकों से कृषि अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ जिन सुधारों को कृषि क्षेत्र की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान बताते रहे थे और जिनके लिए केंद्र की मोदी सरकार पिछले 6 सालों से लगातार प्रयास कर रही थी, वे सारे सुधार एक झटके में वित्तमंत्री ने घोषित कर दिए।

कोरोना के संकटकाल से देश के किसानों और कृषि क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने अद्भुत इच्छाशक्ति दिखाते हुए उन कानूनों में भी केंद्रीय अधिकारों का प्रयोग कर बदलाव की घोषणा की, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण दशकों से लटके पड़े थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एपीएमसी कानून में सुधारों की थी। एपीएमसी कानून 2003 में लागू किए गए थे, जिसके बाद किसी भी किसान के लिए एपीएमसी मंडी के बाहर अपनी फसल बेचने और किसी भी खरीदार द्वारा मंडी के बाहर फसल खरीदने

को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। यह किया तो किसानों को कॉरपोरेट या बड़े व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए गया था, लेकिन धीर–धीरे शोषण का ज़रिया बन गया था।

मौजूदा दौर में जब किसान 20 वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक और संपन्न हैं, जब किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) धीरे–धीरे एक मज़बूत कारोबारी इकाई बन कर उभर रहे हैं, तब यह कानून किसानों को उनकी कीमतों का सही भाव दिला पाने में एक बड़ी बाधा बनने लगा है। वर्षों से इसे बदलने की मांग हो रही थी, लेकिन क्योंकि यह कानून राज्यों के तहत आता है, तो केंद्र सरकार केवल राज्यों से अनुरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब केंद्र ने 6 जून को अध्यादेश के ज़रिए इस कानून को बदल दिया है। यह अब संसद से पास होगा और फिर सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। नए कानून के तहत एपीएमसी कानून केवल मंडियों की चारदीवारी के भीतर मान्य होगा और कोई भी किसान या एफपीओ कहीं भी अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इसका व्यापक असर होगा। बड़े प्रोसेसर सीधे एफपीओ से माल खरीद सकेंगे। एक तरफ बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी और दूसरी ओर अच्छी गुणवत्ता की फसल के लिए कई प्रोसेसर और मिलर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और एफपीओ को सबसे प्रतिस्पर्धा भाव हासिल होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) को ढीला कर किया गया है। लगभग 55 साल पुराने इस कानून के तहत सरकारें किसी भी समय किसी भी कमोडिटी पर स्टॉक लिमिट लगा सकती थी। यानी यदि किसी व्यापारी या कंपनी ने अपने वेयरहाउस में 50000 टन तूर की दाल रखी हो और सरकार फैसला करती है कि तूर में 10000 टन का स्टॉक लिमिट होगा, तो उस व्यापारी या कंपनी को रातोंरात 40000 टन बेचना होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि कभी किसी बड़े कॉरपोरेट ने या प्रोसेसर या मिलर ने अपनी वेयरहाउस या भंडारण क्षमता विकसित नहीं की। यही कारण है कि पिछले 50 सालों में देश ज़्यादातर कमोडिटी में आयातक से निर्यातक बन गया, लेकिन देश में भंडारण क्षमता का विकास नहीं हो सका। इसका नतीजा यह होता है कि जहां एक ओर हार्वेस्ट सीज़न में कमोडिटी के भाव ज़मीन पर पहुंच जाते हैं और किसानों को भारी नुकसान होता है, वहीं ऑफ–सीजन में उन्हीं कमोडिटी के भाव आसमान छूने लगते हैं और केवल बिचौलियों और जमाखोरों को इसका फायदा होता है। यही नहीं, वेयरहाउसिंग में कॉरपोरेट उदासीनता के कारण भारत वेयरहाउसिंग तकनीक में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। फलों और सब्जियों की तो भंडारण क्षमता ही नहीं बनी है, लेकिन आलू के कोल्ड स्टोरेज जहां संख्या में पर्याप्त हैं वहीं पिछड़ी तकनीक के कारण इनमें आलू नष्ट होने की दर 8–10 प्रतिशत है। विकसित देशों में यह दर 2 प्रतिशत है। न तो तकनीक में निवेश आकर्षित हो सका है न क्षमता निर्माण में। नतीजतन कोई भी एफपीओ अपने माल को किसी एक व्यापारी या कॉरपोरेट को बेचने में कठिनाई

अनुभव करता है। अब सरकार ने प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में यह कानून लागू करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके बाद आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर निजी निवेश आएगा और देश में वेयरहाउसिंग की समस्या का उचित समाधान निकल सकेगा।

तीसरी घोषणा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में है। इस पर हालांकि ज़्यादा विवरण अभी आना है, लेकिन अगले 5 साल में 10 हजार एफपीओ तैयार करने के मोदी सरकार के संकल्प से इसे जोड़ कर देखें, तो यह क्रांतिकारी परिणाम पैदा कर सकता है। 300 से लेकर 2500 किसानों तक के संगठन आराम से अपनी शर्तों पर बड़ी–बड़ी कंपनियों के साथ समझौता कर खेती कर सकते हैं और सरकार उनके हितों की गारंटर के तौर पर समझौते में एक पक्ष होगी।

इन सब घोषणाओं के साथ केंद्र सरकार ने कोरोना के संकट काल को कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए एक अवसर में बदलने की कोशिश की है। सरकार की कुछ घोषणाएं तो ऐसी हैं, जिन्होंने तुरंत परिणाम दिए हैं। जिस समय नौकरीपेशा मध्य वर्ग और मज़दूरों को असीम आर्थिक संकट सहने पड़े हैं, उस समय भी किसानों ने इस महामारी के भयंकर झंझावात को बेहतर तरीके से संभाला है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार की वे घोषणाएं हैं, जो दूरगामी हैं और जो देश के कृषि क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल देने का दम रखती हैं। इस दृष्टि से जब भी भारतीय कृषि का इतिहास लिखा जाएगा, तब शायद कोरोना के महासंकट को देखने का उसमें एक भिन्न नज़रिया भी होगा।

(लेखक कॉरपोरेट क्षेत्र से संबद्ध हैं।)
ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

–सन्नी कुमार

आज के तकनीकी युग में ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि वो ज़रूरी प्रौद्योगिकी के प्रति सहज हो। इसके लिए वर्तमान सरकार लंबे समय से प्रयासरत है। आज स्थिति यह है कि करीब 1.25 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दी गई हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व इनकी संख्या मात्र 100 थी। इसी प्रकार सामान्य सुविधा केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 3 लाख हो गई है।

यह बात न जाने कितने लोगों ने कितनी बार ही कही होगी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इस कथन के कई आशय हो सकते हैं। एक यह कि जिस एक सांस्कृतिक भारत की कल्पना की जाती है, वह काफी कुछ देश की ग्रामीण संस्कृति का ही समुच्चय होता है। इसका दूसरा संदर्भ, जो अधिक स्थूल रूप में है, वो यह कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है इसलिए गांवों की दशा–दिशा ही यह तय करेगी कि देश किस हालत में है। यानी अगर गांव खुशहाल हैं तो देश भी उन्नति कर रहा है, और यह उन्नति समावेशी भी होगी क्योंकि यह सर्वाधिक जनसंख्या के निवास का क्षेत्र है। यह दूसरा संदर्भ राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। इसे विस्तार देते हुए कहें तो यह विरोधाभास हमेशा से रहा है कि 'विकास का आधार' किसे बनाया जाए? क्या कुछ विकसित क्षेत्रों के रूप में शहर को बढ़ावा दिया जाए और इसे ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनाया जाए या फिर गांवों को ही इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए कि शहर के रूप में अलग से विकास केंद्रों को स्थापित करने की ज़रूरत न पड़े? कोरोना महामारी के समय यह विरोधाभास नए सिरे से उभर कर आया है क्योंकि इसने 'आर्थिक गतिशीलता' को बाधित कर दिया है। इसलिए ही जब प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' की बात की तो गांवों की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया। इसे समग्रता से समझने के लिए हमें इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा मसलन् ऐसा कहने के पीछे क्या औचित्य है? इस विचार का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? सरकार ने इस दिशा में कौन–कौन से प्रयास किए हैं? आगे और क्या करने की आवश्यकता है? इन तमाम पक्षों से गुजरते हुए हम किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता का औचित्य

कोविड–19 ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इसके पूर्व जहां गतिशीलता ही जीवन की धुरी थी, वहीं अब स्थायित्व केंद्र में आ गया है। चूंकि शहरों में इस महामारी का प्रकोप अधिक सघन है इसलिए यहां के आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में इस पर निर्भर प्रवासी श्रमिकों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ और वे वापस गांव की ओर लौटने लगे। साथ ही जब यह दिख रहा है कि इस महामारी के दुष्परिणाम बहुत जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को उनके निवास–स्थल तक आवश्यक विकास दशाएं उपलब्ध हों तथा गतिशीलता की अपरिहार्यता समाप्त हो। ऐसे में गांवों का आत्मनिर्भर होना जरूरी हो जाता है। आंकड़ों पर नज़र डाले तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है।

2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है तथा यह राष्ट्रीय कार्यबल का 72.4 प्रतिशत हिस्सा धारण करता है। यह ठीक बात है कि बीते दशकों में शहरी जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की लगभग ढाई गुना रही है किंतु फिर भी वर्तमान स्थिति यही है कि लगभग दो तिहाई जनसंख्या गांवों में ही है। इस जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक गतिविधियों को देखें तो वो एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। यह विस्तृत ग्रामीण कार्यबल मूलतः कृषि पर आधारित हैं किंतु इनकी आर्थिक हिस्सेदारी काफी कम है।

वर्ष 2019–20 का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि इस दौरान कृषि का कुल जीवीए में मात्र 16.5 प्रतिशत योगदान रहा। साथ ही, यह तथ्य भी गौर करने लायक है कि यह योगदान निरंतर कम होता जा रहा है, अर्थात् प्रच्छन्न बेरोज़गारी के साथ–साथ

यह क्षेत्र नकारात्मक वृद्धि दर्शा रहा है। इसके अलावा, बेहतर आर्थिक हैसियत के लिए शहरों की ओर पलायन भी एक मुद्दा है। एक अनुमान के अनुसार करीब सात करोड़ से 11 करोड़ के बीच प्रवासी श्रमिक भारत में हैं। यह संख्या विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि ग्रामीण भारत जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तो धारण करता है किंतु उसी अनुपात में वो आर्थिक उत्पादन में भागीदार नहीं हो पा रहा है। इस विसंगति से तमाम असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं जो इस कोविड काल में और भयावह तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खासतौर पर ग्रामीण विकास पर बल दिया और इसे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के अगुवा के रूप में देखा।

आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना का ऐतिहासिक संदर्भ

ऐसा नहीं है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात पहली बार हो रही है बल्कि इसका एक क्रमबद्ध इतिहास रहा है। इसके सबसे बड़े चिंतकों में महात्मा गांधी हैं जिन्होंने पहली बार शक्तिशाली ढंग से इस संकल्पना को अपनाने की बात कही थी। गांधीजी ने इसे 'ग्राम स्वराज' कहा,यानी भारतीय अधिवास की प्राथमिक इकाई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में स्वयं सक्षम हो। गांधीजी ऐसी उत्पादन व्यवस्था की वकालत कर रहे थे जो सामुदायिक ज़रूरतों पर आधारित और स्थानीय संसाधनों से संचालित हो। यानी एक इकाई के रूप में गांव आत्मनिर्भर हो। 1937 में 'हरिजन' में एक लेख के माध्यम से गांधीजी अपने आदर्श गांव की परिकल्पना करते हुए उसके खाद्यान्न से लेकर शिक्षा तक में आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि गांधी जी गांव के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं आत्मसीमित होने की नहीं। इसका अर्थ है कि गांव अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में सक्षम हो तथा शेष के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर हो।

जैसे गांधीवादी विद्वान जे सी कुमारप्पा ने गांधीजी के विचार को आगे बढ़ाते हुए 'इकोनॉमी ऑफ परमानेंस' का सिद्धांत दिया, जिसके केंद्र में यही था कि हमें ऐसी उत्पादन प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसमें स्थायित्व का गुण हो। शहरी मॉडल को वो भंगुर मानते थे। इसलिए वो कृषि एवं कुटीर उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने की वकालत करते हैं क्योंकि यह प्रकृति के अधिक निकट और टिकाऊ व्यवस्था है। यह अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायतों के आत्मनिर्भर होने पर खूब ज़ोर दे रहे थे तो वित्तमंत्री ने भी गांवों को गति देने के लिए आर्थिक घोषणाएं की।

इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख का उल्लेख भी समीचीन होगा क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण की बात करते हुए 'जनता का, जनता के लिए उत्पादन' पर बल दिया। अर्थात्, समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करे तथा राज्य इनमें न्यूनतम हस्तक्षेप करें। यह एक प्रकार की आत्मनिर्भरता की ही बात थी। नानाजी देशमुख ने

तो 'स्वावलंबी गांव' को व्यवहार में मूर्त करके दिखा दिया। उन्होंने चित्रकूट के 500 से अधिक गांवों में आत्मनिर्भरता की संकल्पना को लागू किया और इसका परिणाम शून्य बेरोज़गारी, गरीबी से मुक्ति और यहां तक कि आपसी विवादों में शून्यता के रूप में आया। नानाजी देशमुख ने सामूहिक सामाजिक चेतना को आधार बनाया और एक स्वावलंबी परिवेश निर्मित किया।

इस ऐतिहासिकता में डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम के मॉडल की चर्चा भी अनिवार्य है। डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने वैकल्पिक विकास मॉडल 'पुरा' (प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटिज़ इन रूरल एरिया) सुझाया था। इस योजना के मूल में यह था कि वे सभी आकर्षण के बिंदु जो शहरों तक सीमित हैं जैसे– स्वच्छ जल, ऊर्जा, स्वच्छता, हेल्थकेयर, शिक्षा, रोज़गार प्रशिक्षण, परिवहन तथा व्यावसायिक व राजकीय सुशासन ये सभी गांवों तक पहुंचे। इस प्रकार ग्रामीण–स्तर पर एक ऐसी अवसंरचना विकास की योजना थी जिससे बेहतर जीवन परिवेश की तलाश में लोग शहरों की ओर न जाएं। इससे शहरों पर भार कम पड़ता और उनसे बेहतर परिणाम मिल सकते। मॉरीशस और नीदरलैंड जैसे देशों में, जहां का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, भी बड़े–बड़े शहरों को विकसित करने की बजाय छोटी व स्थानीय इकाई को विकास का आधार बनाया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि 'पुरा' भी स्थानीय आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की बात करता है।

अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार की आत्मनिर्भरता की संकल्पना का एक मज़बूत ऐतिहासिक संदर्भ रहा है और अब ये दृढ़ संकल्पित होकर इसे साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दिलचस्प बात है कि वर्तमान सरकार की योजनाओं को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वो लंबे समय से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्यरत है। इससे पहले कोविड काल की कुछ उन सरकारी पहलों पर गौर करते हैं जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता के प्रयास

(क) जीवनयापन की आधारभूत जरूरतों की पूर्ति

कोविड–19 के कारण तमाम आर्थिक गतिविधियों के धीमे पड़ जाने का सर्वाधिक दुष्प्रभाव ग्रामीण जनसंख्या पर पड़ना निश्चित था, इसलिए ही केंद्र सरकार ने एकदम शुरुआत में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान के लिए व्यापक योजनाएं चलाई। इस संदर्भ में योजनाओं को दो तरीके से विश्लेषित करने की आवश्यकता है। एक तो यह कि तात्कालिक जीवनयापन के लिए क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और दूसरे इसकी निरंतरता के लिए क्या प्रयास किए गए। इस संबंध में केंद्र सरकार की पहली व्यापक योजना 26 मार्च, 2020 को ही आ गई थी जब वित्तमंत्री द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य सर्वाधिक गरीब जनसंख्या को कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित रखना था।

इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को इस दौरान खाद्य सामग्री की कमी का सामना न करना पड़े। इसके लिए लगभग 80 करोड़ भारतीयों को वर्तमान योजना के तहत मिल रहे खाद्यान्न का दुगुना देना निश्चित किया गया। साथ ही, प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए क्षेत्रीय रुचि के अनुसार एक किलो अतिरिक्त दाल देना भी निश्चित किया गया। आवश्यक ईंधन आपूर्ति के लिए 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। इसका तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि सर्वाधिक प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या के समक्ष जीवन का संकट नहीं आया। इसके बाद यह आवश्यक था कि इन वर्गों को जरूरी वित्तीय सहायता भी दी जाए ताकि किसी आधारभूत मद का खर्च प्रभावित न हो। इस उद्देश्य की

पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन कुल 20.40 करोड़ महिला खाताधारकों को अगले तीन माह के लिए प्रतिमाह 500 रुपये देना सुनिश्चित किया गया। यहां इस तथ्य को भी जोड़ना होगा कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, जो इस बीमारी के लिए सबसे संवेदनशील हैं, उनके लिए सरकार ने यह तय किया कि 3.2 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। अर्थात् अब 80 करोड़ भारतीयों को नवंबर तक आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।

(ख) कृषि एवं कृषक

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाए बिना किसी भी प्रकार की आत्मनिर्भरता संभव नहीं है इसलिए केंद्र सरकार ने कृषि एवं कृषकों पर सर्वाधिक ध्यान दिया। 26 मार्च को जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई तो यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अप्रैल 2020 में ही किसानों को 2000 रुपये की पहली किश्त जारी कर दी जाए। इस नकदी प्रवाह से 8.7 करोड़ किसानों को फायदा मिला। इसके अतिरिक्त वो सभी संरचनात्मक प्रयास किए गए जिससे कृषि कार्य सुचारु रूप से चल सके, उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कृषि उत्पादों का परिवहन सुनिश्चित किया गया; बीज एवं अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को आवश्यक वस्तु एवं सेवा में शामिल किया गया तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सुरक्षित कृषि कार्य के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। कृषि को मिलने वाली इस तात्कालिक राहत के बाद सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत व्यापक प्रावधान किए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधी वित्तीय मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण को तीन महीने तक न चुकाने की सुविधा दी गई। इसके अलावा, कुल 25 हजार करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इसका तात्कालिक लाभ यह हुआ कि किसानों को नकदी प्राप्त हुई और वो इसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में कर पाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत है आवश्यक वित्त की उपलब्धता। खासकर, इस कोविड काल में यह आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के बीच कुल 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख कृषि ऋण को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, को–आपरेटिव बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तीयन के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपये जारी किए। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपये भी निवेश किए गए। इस वित्तीय सहायता के अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण था कि किसानों को उनकी उपज का सही समय पर सही दाम मिले। इसके लिए न्यूनतम समर्थन

मूल्य पर कुल 74,300 करोड़ रुपये के अन्न क्रय किए गए। साथ ही दो महत्वपूर्ण योजनाओं – फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा पीएम किसान फंड के तहत 18,700 करोड़ रुपये जारी किए गए। ये सब ऐसी सहायक मदद थी जिन्होंने कृषि एवं कृषकों को मज़बूत बनाए रखा।

(ग) कृषि अवसंरचना एवं कानूनी सुधार

इस दिशा में सबसे हालिया प्रयास देखें तो सरकार ने कृषि अवसंरचना के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य कृषि सहकारिता समितियों, कृषक संगठनों, कृषि उद्यमिता को वित्तीय प्रोत्साहन देना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परंपरागत तरीका लंबे समय से गैर–लाभप्रद रहा है और यह समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को शामिल किया जाए। इसी विचार को आत्मसात करते हुए तथा स्थानीय उत्पादों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिहाज़ से प्रधानमंत्री ने 'लोकल के लिए वोकल' का नारा दिया। इस नारे को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए पिछली तमाम योजनाओं के साथ सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की है जो 'सूक्ष्म खाद्य उद्यम (एमएफई) 'को एकीकृत करेगी। यह योजना 'क्लस्टर' पर आधारित होगी तथा ऐसे उद्यमों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करेगी ताकि इनके उत्पाद सभी मानकों पर खरा उतर सकें। इससे न केवल स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वो गुणवत्ता में सभी मानकों के अनुकूल होंगे, इस प्रकार एक वृहद् बाज़ार से इसे जोड़ा जा सकेगा।

कृषि उत्पादों को बाज़ार शक्तियों का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इस संशोधन को 3 जून, 2020 को कैबिनेट की सहमति मिली तथा 5 जून, 2020 को अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू कर दिया गया। वस्तुतः इस कानून के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू जैसे भोज्य पदार्थों को 'आधारभूत' मानकर सरकार उसे भंडारण व वितरण का विनियमन करती है। चूंकि इस कानून की पृष्ठभूमि में अन्न की कमी थी इसलिए विनियमन आवश्यक था। किंतु अब जब भारत खाद्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुका है, ऐसे में आवश्यक था कि इसमें जरूरी संशोधन किए जाएं। वर्तमान संशोधन के बाद इन आवश्यक वस्तुओं को आपात स्थिति के अलावा विनियमन से मुक्त कर दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि किसान अपने उत्पादों को उच्च कीमत वाले बाज़ार में बेच सकेंगे। साथ ही, पहले जहां 'स्टॉक विनिश्चयन' के कारण निजी निवेश इससे दूर भागते थे वहीं अब कृषि में निजी निवेश बढ़ेगा। साथ ही, सरकारी भंडारण में अन्न बर्बाद होने की संभावना भी कम होगी। कुल मिलाकर, यह संशोधन कृषि को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मददगार होगा। साथ ही, सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में कृषि का और अधिक उदारीकरण किया जाएगा ताकि यह लाभ का उद्यम बन पाए।

(घ) संबद्ध क्षेत्र

कृषि के अलावा वैसे संबद्ध क्षेत्र जिनसे ग्रामीण जनसंख्या जुड़ी हुई है, वे भी सरकारी सहायता के दायरे में रहे ताकि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें सबसे प्रमुख है पशुपालन। इसे गति प्रदान के लिए न केवल अप्रयुक्त दुग्ध उत्पादों की सरकारी खरीद की गई ताकि पशुपालकों को नुकसान न उठाना पड़े बल्कि 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय तरलता भी प्रदान की गई। इससे करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। मत्स्यपालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समुद्री एवं अंतःक्षेत्र के मत्स्यपालन को एकीकृत, संधारणीय एवं समावेशी बनाने की योजना है। इसमें कुल 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत 15000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसका उद्देश्य डेयरी उद्योग में निजी निवेश आकर्षित करना है। इसी प्रकार हर्बल उत्पादों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपये तथा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इन सभी प्रयासों का असर यह होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होगी बल्कि इसका स्वरूप भी वैविध्यपूर्ण होगा। एक तरफ जहां कृषि बड़ी जनसंख्या के लिए आधार का काम करेगी वहीं संबद्ध क्षेत्र आय के अन्य क्षेत्र विकसित करेंगे।

(ङ) ग्रामीण रोज़गार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह भी आवश्यक था कि नीचे की ओर वित्त का प्रवाह सुनिश्चित हो तथा लोगों को काम मिले। लॉकडाउन के शुरुआती समय में जब आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कामगारों के लिए कई जरूरी उपाय किए गए। निर्माण कार्य बंद हो जाने से केंद्र सरकार ने बेरोज़गार हुए निर्माण श्रमिकों को

रुर्बन मिशन

विकास मॉडल के रूप में एक योजना जो ग्रामीण अवसंरचना विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्व रखती है, वो है 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन'। इस योजना का मूल उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक विकास की संभावनाओं को तलाशना और उसका विकास करना। इसके तहत 300 ग्रामीण विकास समूहों का निर्माण कर शहर व गांवों के बीच के आर्थिक व तकनीकी अंतर को समाप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। यह योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहरों एवं गांवों को परस्पर जोड़कर विकास की संभावनाओं को तलाशती है। यह प्रवृत्ति निश्चित ही अधिक व्यावहारिक और समावेशी है क्योंकि इससे ग्रामीण जनसंख्या बुनियादी आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ अतिरिक्त सुविधाओं के लिए शहर से जुड़ जाएगी। साथ ही, अशोक दलवई समिति की अनुशंसा के अनुसार 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करना, किसानों को उपज की डेढ़ गुना कीमत पर अधिकतम बिक्री मूल्य तय करना, फसल बीमा योजना लागू करना जैसे प्रयास जहां कृषि क्षेत्र को मज़बूत करेंगे वहीं अटल रोज़गार मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम, मुद्रा योजना इत्यादि स्थानीय–स्तर पर नए उद्यमों को प्रोत्साहित करेंगे। लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास से संगठित रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।

राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के आदेश दिए गए। इसके तहत कुल 3.5 करोड़ पंजीकृत मज़दूरों को लाभ मिला। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सौ से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक पाने वालों के पीएफ खातों में अगले तीन महीनों के दौरान उनके मासिक पारिश्रमिक का 24 प्रतिशत भुगतान किया। इससे पहले 24 मार्च को केंद्रीय श्रममंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि श्रमिक कल्याण के लिए लिया गया लेबर सेस का पैसा कंस्ट्रक्शन मज़दूरों को तुरंत दिया जाए।

इस वित्तीय सहायता के साथ–साथ रोज़गार को संरचनात्मक रूप से शुरू करने के लिए 26 मार्च की घोषणा में दो पहले की गईं। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 'मनरेगा' के तहत निश्चित मज़दूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया। इससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। दूसरे, 6.85 करोड़ परिवार, जो स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको 20 लाख रुपये की रेहन मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। आगे 12 मई को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की जब घोषणा की गई तो उसमें भी क्रमशः ग्रामीण रोज़गार को ध्यान में रखा गया। इसके लिए सरकार ने 'मनरेगा' को आधार बनाया तथा इसमें अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इस बढ़ी हुई राशि का रूपांतरण श्रमिक रोज़गार के रूप में हुआ। साथ ही, पिछले वर्ष मई की तुलना में इस वर्ष करीब 40 से 50 प्रतिशत अधिक श्रमिकों ने इस योजना के तहत स्वयं को नामांकित कराया। पुनः 20 जून, 2020 को प्रधानमंत्री ने 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' शुरू किया। इस योजना का मूल उद्देश्य यह है कि वैसे श्रमिक, जो इस महामारी के दौरान अपने गांव लौट आए हैं, उनको रोज़गार मिले। इस अभियान के तहत दीर्घकालिक ग्रामीण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। यह अभियान कुल 5000 करोड़ रुपये का है जिसे मिशन मोड अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 ज़िलों में 125 दिनों तक चलाया जाएगा। ये राज्य– बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा उड़ीसा हैं जहां सर्वाधिक श्रमिक लौटे हैं। इस प्रकार देखें तो केंद्र सरकार ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया है।

(च) स्वास्थ्य मामलों में आत्मनिर्भरता

यद्यपि प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की घोषणा अभी की है किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। ध्यातव्य है कि भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल आवश्यकता का 85 प्रतिशत आयात करता है। इस परनिर्भरता को समाप्त करने के लिए 'उपकरण पार्कों के संवर्धन' की योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग के अनुरूप चिकित्सीय उपकरणों का विनिर्माण करना है। इसे 2020–21 से 2024–25 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार दवाओं के निर्माण में उपयोग आने वाली कच्ची सामग्रियों के आयात को कम करने के लिए 'बल्क ड्रग पार्क' निर्मित किए जा रहे हैं। सरकार ने इस हेतु 3000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। साथ ही इस कड़ी में प्रधानमंत्री भारतीय जन–औषधि परियोजना को भी शामिल करना होगा जिसका उद्देश्य सभी के लिए वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराना है। ये सभी उपाय चिकित्सीय उपकरणों में आत्मनिर्भर होने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बेहतर स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए भी व्यापक योजनाएं संचालित कर रही है।

इस संदर्भ में सबसे पहले 'आयुष्मान भारतः प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का उल्लेख करना समीचीन होगा। इस योजना के तहत गरीबी–रेखा से नीचे गुज़र कर रहे परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लगभग 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा मिल सके। ज़ाहिर तौर पर इसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण जनसंख्या को मिलेगा। स्वास्थ्य मामलों में इतनी सुरक्षा निश्चित ही एक मज़बूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को संभव बनाएगी। इसके अलावा 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' एक ऐसी योजना है जो स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके तहत देश भर के सभी बच्चों को टीके के माध्यम निवारित हो सकने वाले 12 रोगों का मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, परट्यूसिस, हेपेटाइटिस–बी, जापानी इन्सेफलाइटिस इत्यादि जैसे रोगों के विरुद्ध टीकाकरण किया जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या इन रोगों से अधिक प्रभावित रहती है, ऐसे में यह अभियान एक बेहतर प्रयास होगा। 'मिशन इन्द्रधनुष' इसी टीकाकरण अभियान का सहयुग्मी मिशन है। इसके अलावा, राष्ट्रीय

स्वास्थ्य मिशन जिसका उद्देश्य एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना है; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसके तहत 'आशा' कार्यकर्ता, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आदि के माध्यम से सर्वाधिक गरीब जनसंख्या को चिकित्सा उपलब्ध करा रही हैं; साथ ही, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के माध्यम से सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का ज़िक्र भी आवश्यक होगा जिसका मुख्य उद्देश्य महामारी रोगों के अध्ययन व उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। मूल बात यह है कि जब तक हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी और भारत चिकित्सीय उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य अधूरा होगा।

शिक्षा पहलें

कोविड काल के दौरान शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा **'पीएम ई–विद्या'** अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सभी डिजिटल शिक्षा का एकीकरण करना है। आज जब कोविड–19 के कारण क्लासरूम शिक्षा बाधित हो रही है, ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि ई–लर्निंग के सभी साधनों–दीक्षा (एक राष्ट्र–एक डिजिटल प्लेटफ़ार्म), टीवी (एक क्लास–एक चैनल), स्वयं इत्यादि को और विस्तार दिया जाए। चूंकि ग्रामीण जनसंख्या उच्च तकनीकी से पूर्णतः नहीं जुड़ पाई है इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि रेडियो या मोबाइल एफएम अथवा बिना किसी डिजिटल डिवाइज़ की उपलब्धता वाले घरों में भी शिक्षा को पहुंचाया जाए। इस संबंध में सरकार ने 'प्रज्ञता' के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था : दीर्घकालिक प्रयास

आज के तकनीकी युग में ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि वो ज़रूरी प्रौद्योगिकी के प्रति सहज हो। इसके लिए वर्तमान सरकार लंबे समय से प्रयासरत है। आज स्थिति यह है कि करीब 1.25 लाख पंचायत ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ दिए गए हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व इसकी संख्या मात्र 100 थी। इसी प्रकार सामान्य सुविधा केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 3 लाख हो गई है। 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई–ग्राम स्वराज पोर्टल तथा मोबाइल एप को लांच किया। साथ ही, 'स्वामित्व' योजना भी शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य राजस्व वसूली एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी अधिकारों को पारदर्शी बनाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से देश को डिजिटली सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अंतर्गत 'NeGP' जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य आईसीटी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना था। साथ ही, ग्रामीण जनसंख्या को तकनीकी रूप से साक्षर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' शुरू किया

गया जिसका उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं चलाई गईं जिनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। कृषि उत्पादों को भी प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कृषि बाज़ार ई–नाम (इलैक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इससे किसान अपनी उपज सीधे बाज़ार तक पहुंचा सकेंगे और बिचौलियों की समाप्ति से उन्हें अधिक कीमत मिल सकेगी। वस्तुतः, 'ई–नाम' यानी इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिससे देश की लगभग सभी मंडियों को जोड़ा गया हैं। इस प्रकार देश भर के व्यापारी सीधे स्थानीय किसानों से जुड़कर उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से 'ग्रामीण खुदरा कृषि बाज़ार (GrAMs)' को जोड़ दिया जाएगा जिससे कृषि विपणन क्षेत्र का विकास होगा और किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा जुड़ना संभव होगा।

संक्षेप में, सरकार न केवल आत्मनिर्भरता की बात कर रही है बल्कि वो इस दिशा में गंभीरता से कार्य भी कर रही है। आज की आवश्यकता भी यही है कि नीतियां इस प्रकार निर्मित हों कि उसके केंद्र में वृहद् जनसंख्या हो तथा जो स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित हों। यही धारणा अंततः समावेशी और आत्मनिर्भर देश का निर्माण कर सकेगी। प्रधानमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों के अपने संबोधन में यह कहा भी था कि आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर पंचायत बनेगी और फिर यह क्रमशः ज़िला, राज्य व देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं। 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के संपादक मंडल में शामिल; स्वतंत्र लेखक के रूप में विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन पोर्टल हेतु नियमित लेखन।)

ई–मेल : sunnyand65@gmail.com

एमएसएमई : देश की आर्थिक रीढ़

–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

छोटे उद्योगों को अक्सर बाज़ार तक सीधी पहुंच नहीं मिलती है, जिस कारण वे अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके लिए सरकारी खरीद पोर्टल (जेम) बहुत मददगार साबित हुआ है। इसके ज़रिए सरकारी विभाग एमएसएमई से माल खरीदते हैं। कोविड की दिक्कत के बाद सरकार ने और भी एमएसएमई को इससे जुड़ने के लिए कहा है। साथ ही खरीद के 45 दिन के भीतर बकाया चुकाने का आदेश भी दिया गया है, जो छोटे उद्यमियों के पास पूंजी की कमी नहीं होने देगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) भारत की आर्थिक रीढ़ हैं। गांव–देहात में पापड़, चटनी, मुरब्बे और खादी तैयार करने वाले कुटीर उद्योगों से लेकर शहरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, खाने–पीने की वस्तुएं और बड़े उद्योगों को एकदम बुनियादी कच्चा माल मुहैया कराने वाली इकाइयों तक एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है और ये करोड़ों की संख्या में रोज़गार मुहैया कराते हैं।

भारत के एमएसएमई की खासियत यह है कि शहरों और गांवों में इनकी संख्या कमोबेश बराबर है। एमएसएमई मंत्रालय की 2018–19 की सालाना रिपोर्ट बताती है कि देश में 6.33 करोड़ से भी ज़्यादा एमएसएमई हैं। दिलचस्प है कि इनमें 99 प्रतिशत से भी ज़्यादा सूक्ष्म उद्योग हैं, जो बेहद कम पूंजी पर और बेहद छोटे स्तर पर चलते हैं। इन उद्योगों में अभी तक हर वर्ष इज़ाफा ही हो रहा था। लेकिन कोरोना वायरस ने उन्हें पटरी से एकदम उतार दिया है। तमाम औद्योगिक इलाकों से आने वाली खबरें बताती हैं कि धंधा एकदम ठप हो गया है क्योंकि न तो मांग है और न ही कच्चे माल की आपूर्ति। भदोही का कालीन उद्योग हो, वाराणसी का रेशम, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल उद्योग या कानपुर का चमड़ा उद्योग। इनमें से ज़्यादातर का माल निर्यात होता है और निर्यातकों को तैयार माल छोटे उद्यमियों से ही मिलता है। निर्यात बंद है तो बड़े निर्यातकों के लिए माल तैयार करने वाले एमएसएमई पर भी तालाबंदी की नौबत है।

दिक्कतों से जूझते छोटे उद्योग

हालांकि ढेरों समस्याएं महामारी के कारण हमें दिख रही हैं मगर एमएसएमई हमेशा ही दिक्कतों से जूझते रहे हैं। यह विडंबना ही है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 29 प्रतिशत से भी ज़्यादा योगदान देने वाले क्षेत्र को लंबे अरसे तक अनदेखी का शिकार होना पड़ा है। यह उद्योग 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधे रोज़गार दे रहा है और देश से करीब आधा निर्यात भी इसी के दम पर होता है। मगर

धन, बाज़ार, विस्तार की दिक्कतों से सबसे ज़्यादा इसे ही जूझना पड़ता है।

सबसे बड़ी समस्या धन की होती है। सरकारें अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं मगर संस्थागत वित्त यानी बैंकों और एनबीएफसी से कर्ज़ हासिल करना छोटे उद्यमियों के लिए आसान नहीं होता। अगर पहली बार कोई छोटी इकाई लगाने जा रहे हैं तब तो आपको 90 प्रतिशत तक रकम का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता है। कर्ज़ मिल भी जाता है तो चुकाते समय दिक्कत होती है क्योंकि अक्सर एमएसएमई को बड़े कारोबारियों और सरकारी विभागों से बकाया मिलने में खासा वक्त लग जाता है। समय पर बकाया नहीं आए तो किस्त चुकाना भी मुश्किल होता है। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में सभी विभागों को खरीद के 45 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

कर्ज़ और बकाया समय पर आ जाए तो अच्छे दाम पर माल बेचने के लिए बाज़ार की दरकार होती है। बड़े रिटेल स्टोर या ई–कॉमर्स कंपनियां पहले तो सूक्ष्म और लघु उद्यमियों का माल रखती ही नहीं हैं। अगर रखती भी हैं तो ऐसे दाम तय करती हैं कि ब्रांड को लेकर संवेदनशील ग्राहक उनकी ओर झांकता ही नहीं है। ऐसे में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बाज़ार कहां से मिले। बेशक सरकार ने खादी और कुटीर उद्योगों के अन्य उत्पादों के लिए खादी ग्रामोद्योग विकास बोर्ड के ज़रिए अच्छा बाज़ार तैयार कर दिया है मगर बाकी उद्यमों और उत्पादों के लिए यह अब भी समस्या है। खाद्य प्रसंस्करण में लगे उद्यमियों को खासतौर पर इसकी कमी खलती है। अक्सर उन्हें बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है और मामूली मार्जिन पर सामान बेचना पड़ता है।

कुशल कारीगरों की दिक्कत भी इस उद्योग से जुड़ी है क्योंकि अक्सर यहां ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जो खेती के साथ दूसरा रोज़गार तलाश रहे होते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण या कौशल हासिल करना उनके लिए प्राथमिकता नहीं होती। दूसरा पहलू यह भी है कि कौशल प्रदान करने वाली संस्थाओं की भी कमी है। बेशक मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान स्किल इंडिया पर काफी ज़ोर दिया था। लेकिन सच कहा जाए तो फर्ज़ी संस्थाओं ने भी इसका फायदा उठाया और ज़मीनी–स्तर पर इसका उतना फायदा नहीं पहुंच सका, जितना पहुंचना चाहिए था।

एक बहुत बड़ी दिक्कत विदेश से सस्ते माल का आयात भी

एमएसएमई का नया पैमाना

उद्योग	निवेश सीमा*	कारोबार सीमा*
सूक्ष्म	1 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
लघु	10 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये
मध्यम	50 करोड़ रुपये	250 करोड़ रुपये

*अधिकतम सीमा, निवेश यानी संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश

स्रोतः एमएसएमई मंत्रालय

है। चीन से झड़प के कारण इस पर चर्चा भी खूब हो रही है। यूं तो भारत में कई देशों से आयात होता है, लेकिन चीन से होने वाला आयात सबसे खतरनाक है क्योंकि यह सीधे छोटे उद्योगों को बर्बाद कर रहा है। वाहन, बड़े उपकरण, दवा, उर्वरक आदि का आयात तो समझ आता है मगर छतरी, चाकू, कील, हथौड़े, ताले, कैंची, पंखे, फोटो फ्रेम, सस्ते खिलौने, मूर्ति, राखी जैसे उत्पाद भी आयात किए जाएंगे तो छोटे–छोटे उद्योग कहां जाएंगे। औद्योगिक शहरों में घूम आइए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले कुछ समय में ऐसे उत्पाद बनाने वाली कितनी देसी इकाइयों पर ताले पड़ गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कुछ समस्याएं तो सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कम हो सकती हैं। कोविड–19 संकट से ठहरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए घोषित इस पैकेज में एमएसएमई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। (देखें बॉक्स) इसमें कम से कम दो समस्याएं तो कम हो ही सकती हैं। पहली समस्या तो धन की किल्लत की है। 25 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज़ और 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले एमएसएमई को ज़मानत रहित आपात ऋण की योजना से मदद मिलेगी। चूंकि 4 वर्ष के इस कर्ज़ में पहले वर्ष मूलधन नहीं लौटाना है और किसी तरह की गारंटी की जरूरत भी नहीं है, इसलिए एमएसएमई इस मौके का फायदा अपने कारोबार के विस्तार में कर सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ भी दिया जा रहा है, जो संकट में फंसी या एनपीए

आत्मनिर्भर भारत पैकेज और एमएसएमई

कोरोना वायरस से चरमराई अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मई 2020 में सरकार ने जो राहत के उपाय किए, उनमें छोटे उद्योगों को भी काफी कुछ मिला है। एक नज़र उन उपायों पर डालते हैं और देखते हैं कि लघु उद्यमियों को उनसे कैसा फायदा हो सकता है:–

3 लाख करोड़ का जमानत रहित स्वतः ऋण : कोविड–19 से परेशान व्यापारियों या एमएसएमई को बकाया चुकाने, कच्चा माल खरीदने और व्यापार को पटरी पर लाने में मदद के लिए सरकार ने आपात ऋण सुविधा मुहैया कराई है। इसके तहत उनके कुल बकाया का 20 प्रतिशत तक बैंकों और एनबीएफसी से मिलेगा। 25 करोड़ रुपये तक बकाया और 100 करोड़ रुपये तक कारोबार वाले उद्यमी इसके पात्र होंगे। 4 वर्ष के लिए दिए जा रहे इस कर्ज़ में पहले 12 महीने मूलधन की वापसी नहीं करनी होगी और ब्याज दर भी कम ही रहेगी। इस योजना में उन्हें न तो किसी तरह का गारंटी शुल्क भरना होगा और न ही अलग से कुछ रेहन रखना होगा। साफ है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा एमएसएमई को ही होगा, जिनके पास पूंजी की किल्लत रहती है। आसानी से पूंजी मिलने के कारण 45 लाख इकाइयां दोबारा चालू होने का अनुमान है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का रोज़गार भी बचा रहेगा।

संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ : कम पूंजी में काम करने वाले एमएसएमई महामारी की वजह से और भी परेशानी में फंस गए हैं जिससे उबरने के लिए उन्हें पूंजी की जरूरत है। सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ का इंतजाम किया है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इसमें ऐसे लघु उद्यमों की मदद की जाएगी, जो या तो एनपीए बन गए हैं या मुश्किल में फंसे हैं। इसमें एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों से कर्ज़ मिलेगा, जिसे प्रमोटर इक्विटी के रूप में इकाई में लगाएंगे।

फंड ऑफ फंड्स के ज़रिए 50,000 रुपये की इक्विटी पूंजी : एमएसएमई की इक्विटी पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार फंड ऑफ फंड्स की स्थापना भी कर रही है। 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ शुरू हो रहे इस फंड से ऐसे एमएसएमई को इक्विटी पूंजी दी जाएगी, जिनमें वृद्धि की संभावना हो और जो व्यावहारिक हों। मूल फंड की मदद से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये नीचे के फंडों के पास होंगे। इस रकम की मदद से छोटे उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आकार और कारोबार बढ़ने पर एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का हौंसला भी मिलेगा, जिसकी कोशिश सरकार करती आ रही है।

एमएसएमई की नई परिभाषा : अभी तक काफी कम कारोबार वाली इकाइयों को ही एमएसएमई के दायरे में रखा जाता था। इससे छोटे उद्योग ज़्यादा वृद्धि करने से घबराते थे क्योंकि उन्हें डर था कि आकार या कारोबार बढ़ते ही वे एमएसएमई की श्रेणी में नहीं रहेंगे और अब तक मिलने वाले लाभ तथा रियायतें भी उनसे छीन ली जाएंगी। इस वजह से परिभाषा में तब्दीली की मांग बहुत पहले से हो रही थी। सरकार ने यह बात मान ली और राहत पैकेज के तहत उनकी परिभाषा भी बदल दी। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा और सालाना कारोबार दोनों को बढ़ा दिया गया है। साथ ही, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के बीच अंतर भी खत्म कर दिया गया है। इससे बड़े कारोबार वाली इकाइयों को भी एमएसएमई जैसी सहूलियतें मिलेंगी और छोटी इकाइयां अपना कारोबार बढ़ाने में नुकसान महसूस नहीं करेंगी।

200 करोड़ रुपये तक की निविदा में विदेशी कंपनियां नहीं : राहत पैकेज के तहत यह भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। सरकारी ठेकों के निविदा डालते वक्त देसी एमएसएमई और दूसरी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से होड़ करनी पड़ती थी। बड़े आकार, अधिक अनुभव और ज़्यादा संसाधन होने के कारण विदेशी कंपनियां ज़्यादातर ठेके झटक लिया करती थीं। लेकिन अब सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए जारी होने वाली निविदा में विदेशी कंपनियों की बोली पर रोक लगा दी। इससे तय हो गया कि ये ठेके छोटी इकाइयों और देसी कंपनियों को ही मिलेंगे, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की दिशा में अहम फैसला है। इससे भी एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अन्य उपाय

वैश्विक महामारी की वजह से बाज़ार और नकदी की समस्या से जूझ रही छोटी इकाइयों के लिए सरकार व्यापार मेलों की जगह ई–मार्केट को बढ़ावा देगी। सरकार की नज़र इस बात पर भी है कि एमएसएमई का बकाया ज़्यादा समय तक नहीं अटके। इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी ई–पोर्टल के ज़रिए या सीधे एमएसएमई से खरीद करने वाले सरकारी विभाग और पीएसयू को खरीद के 45 दिन के भीतर उद्यमी का बकाया चुकाना पड़ेगा।

ईपीएफ के ज़रिए छोटी इकाइयों को सहारा देने की सरकार की घोषणा भी छोटी इकाइयों के लिए बहुत राहत देने वाली है। सरकार ने शुरू में घोषणा की थी कि मार्च, अप्रैल और जून महीने में पात्र संस्थानों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का 12–12 प्रतिशत भविष्य निधि अंशदान सरकार ही करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित इस योजना को अब तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनमें से कई एमएसएमई इकाइयों में काम करने वाले होंगे।

स्रोतः सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

बन गई इकाइयों को मिलेगा। फंड ऑफ फंड्स के ज़रिए 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी भी इस क्षेत्र के लिए संजीवनी बन सकती है।

कारोबार से जुड़ी एक और बड़ी दिक्कत सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। सरकारी खरीद के ठेके हासिल करने में छोटे उद्योग अक्सर बड़ी कंपनियों या सस्ता माल देने वाली चीनी कंपनियों से पिछड़ जाते हैं। उन्हें इससे बचाने के लिए सरकार ने इस पैकेज के तहत 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए विदेशी कंपनी को बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। जाहिर है, एमएसएमई के लिए ठेके हासिल करने और कारोबार बढ़ाने की उम्मीद इससे बढ़ जाएगी।

पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा बदले जाने से अधिक कारोबार वाली इकाइयां भी इसके दायरे में आ जाएंगी, जिससे उन्हें ऋण, कर्ज़ तथा दूसरी सहूलियतें हासिल हो जाएंगी। साथ ही, एमएसएमई के दायरे से बाहर हो जाने के डर से कारोबार बढ़ाने से हिचक रही इकाइयां भी अब विस्तार कर सकेंगी। अब 250 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले उद्यमियों को एमएसएमई में माना गया है।

एमएसएमई को सालने वाली एक समस्या बाज़ार की कमी है। छोटे उद्योगों को अक्सर बाज़ार तक सीधी पहुंच नहीं मिलती है, जिस कारण वे अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके लिए सरकारी खरीद पोर्टल (जेम) बहुत मददगार साबित हुआ है। इसके ज़रिए सरकारी विभाग एमएसएमई से माल खरीदते हैं। कोविड की दिक्कत के बाद सरकार ने और भी एमएसएमई को इससे जुड़ने के लिए कहा है। साथ ही खरीद के 45 दिन के भीतर बकाया चुकाने का आदेश भी दिया गया है, जो छोटे उद्यमियों के पास पूंजी की कमी नहीं होने देगा।

पैकेज बनाएगा आत्मनिर्भर?

संकट के समय एमएसएमई को सहारा देने की सरकारी पहल तो सराहनीय है, लेकिन क्या वाकई इससे छोटे उद्योगों की पुरानी समस्याएं दूर हो जाएंगी?

निसंदेह एमएसएमई की परिभाषा बदलने से वाकई फर्क पड़ेगा। इससे छोटे उद्योग बिना हिचक विस्तार कर पाएंगे, जिससे करोड़ों नए रोज़गार तैयार होंगे और भारतीय व्यापार जगत भी मज़बूत होगा। मगर बकाया भुगतान के मसले पर कुछ कसर रह गई है। सेबी के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने जुलाई, 2019 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी रिपोर्ट में बकाया भुगतान पर अहम सिफारिश की थी। समिति का सुझाव था कि एमएसएमई को पोर्टल पर बिल डालने के बाद जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। नए पैकेज के तहत सरकार ने ई–मार्केट प्लेस जेम के ज़रिए केंद्रीय विभागों को तो 45 दिन के भीतर भुगतान करने को कह दिया है मगर राज्य इस पर चुप्पी साधे हैं। राज्य भी ऐसा नहीं करेंगे तो केंद्र का कदम व्यर्थ चला जाएगा।

मगर आसान वित्त उपलब्ध कराने के कदमों पर सवाल खड़ा हो सकता है क्योंकि सरकार के अभी तक के कदमों का ज़मीनी–स्तर पर अच्छी तरह अमल नहीं किया गया है। मुद्रा योजना को ही ले लीजिए। यूं तो सरकार ने 2020 की शुरुआत तक इस योजना के तहत 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज़ जारी कर दिए थे मगर हकीकत यही है कि सूक्ष्म और छोटे उद्योग अक्सर इससे वंचित ही रह जाते हैं। कुछ तो जागरूकता की कमी है और कुछ विभागों की उदासीनता। उदासीनता तो बैंकों में भी बहुत है। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में एमएसएमई को कर्ज़ दिए जाने की योजना को साल भर से अधिक हो गया है, लेकिन कर्ज़ मंजूर करने में बैंक इतने सुस्त हैं कि छोटे उद्योगों को इसका कोई

एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल चालू

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई, 2020 से चालू हो गया है। उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण की नई प्रक्रिया 26 जून, 2020 को पहले ही घोषित की गई अधिसूचना के अनुरूप शुरू हो गई है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल https://udyamregistration.gov.in को शुरू करने के साथ ही एमएसएमई मंत्रालय ने सुविधा के लिए चैंपियंस कंट्रोल रूम और डीआईसी में एकल खिड़की प्रणाली की भी व्यवस्था की है।

मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और इससे लेनदेन के समय एवं लागत में कमी आएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस पोर्टल के अलावा कोई अन्य निजी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली, सेवा, एजेंसी या व्यक्ति एमएसएमई पंजीकरण करने के लिए अधिकृत नहीं है।

एमएसएमई की संशोधित सीमा

श्रेणी	पुराना निवेश	पुराना टर्नओवर	नया निवेश	नया टर्नओवर
सूक्ष्म	25 लाख	10 लाख	1 करोड़	5 करोड़
लघु	5 करोड़	2 करोड़	10 करोड़	50 करोड़
मध्यम	10 करोड़	5 करोड़	50 करोड़	250 करोड़

फायदा नहीं हो रहा है। समस्या यह भी है कि छोटे उद्योगों को महंगे ब्याज पर कर्ज़ देने वाले एनबीएफसी खुद नकदी की किल्लत से जूझ रहे हैं। फिच रेटिंग्स की 1 जुलाई, 2020 को आई रिपोर्ट बताती है कि पिछले वित्त वर्ष में गैर–बैंकिंग वित्तीय उद्योग की वृद्धि बेहद कमज़ोर रही। साथ ही रकम की किल्लत बनी रही और मार्च में कोरोना महामारी शुरू होने से कंगाली में आटा गीला जैसी गति हो गई। एनबीएफसी ऐसे संकट से जूझेगी तो एमएसएमई को कर्ज़ कैसे मिलेगा? यदि एनबीएफसी को सहारा नहीं दिया गया और छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय कदम फाइलों के जाल या फैसलों में ढिलाई में नहीं उलझे तो बात बन सकती है।

क्या हो उपाय?

सरकार लगातार कोशिश कर रही है मगर अब भी एमएसएमई को ताकत देने के कई उपाय रह गए हैं। सबसे पहले तो नया उद्यम शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अभी कोई युवा अपना उद्यम शुरू करना चाहे तो उसे वित्त की तंगी के साथ ही नियमों के जंजाल से भी जूझना पड़ता है। उद्यम शुरू कर भी दे तो कागजों में उलझना पड़ता है। नए उद्यमी को भी कर के मामलों में आधार के साथ कंपनी जीएसटी संख्या की दरकार होती है। उसे आधार भी चाहिए, कंपनी की जीएसटी संख्या भी चाहिए, आयात–निर्यात क्रमांक होना चाहिए और तमाम पोर्टलों पर पंजीकरण भी कराना चाहिए। उद्यमी के लिए स्वयं इन कामों को करना कई बार संभव नहीं होता और इतनी पूंजी भी नहीं होती कि इसके लिए किसी पेशेवर की मदद ले। ऐसे में सरकार को कागज़ी झंझट कम से कम करने की जरूरत है ताकि नए लोग इस क्षेत्र में उतर सकें।

ऊपर बताया ही गया है कि प्रशिक्षण की कमी छोटे उद्योगों के लिए बड़ी समस्या है। प्रशिक्षण नहीं होने से अच्छा माल बनाने में भी समस्या आती है और कारोबार को बेहतर तरीके से संभालना भी मुश्किल होता है। बेहतर गुणवत्ता और बनावट के उत्पादों पर अधिक खर्च करने से कोई पीछे नहीं हटता। यदि कुशल कामगार हो तो देसी माल आयातित उत्पादों पर भारी पड़ सकता है। मगर उद्यमियों के लिए खुद प्रशिक्षण देना मुमकिन नहीं। इसके लिए सरकार और बड़े उद्योगों को आगे आना होगा। हालांकि मोदी सरकार ने 2014 से ही स्किल इंडिया के ज़रिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हर वर्ष करीब 1 करोड़ युवा इसमें पंजीकरण करा भी रहे हैं, लेकिन ज़मीनी–स्तर पर इसका भी असर नहीं दिख रहा। इसके लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों का हवाला भी दिया जाता है, जिसके मुताबिक 2011–12 में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कामगार 2.3 प्रतिशत ही थे, जिनकी संख्या में 2017–18 तक केवल 2.4 प्रतिशत का इज़ाफा हो सका। ज़ाहिर है, सरकार को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। साथ ही, उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।

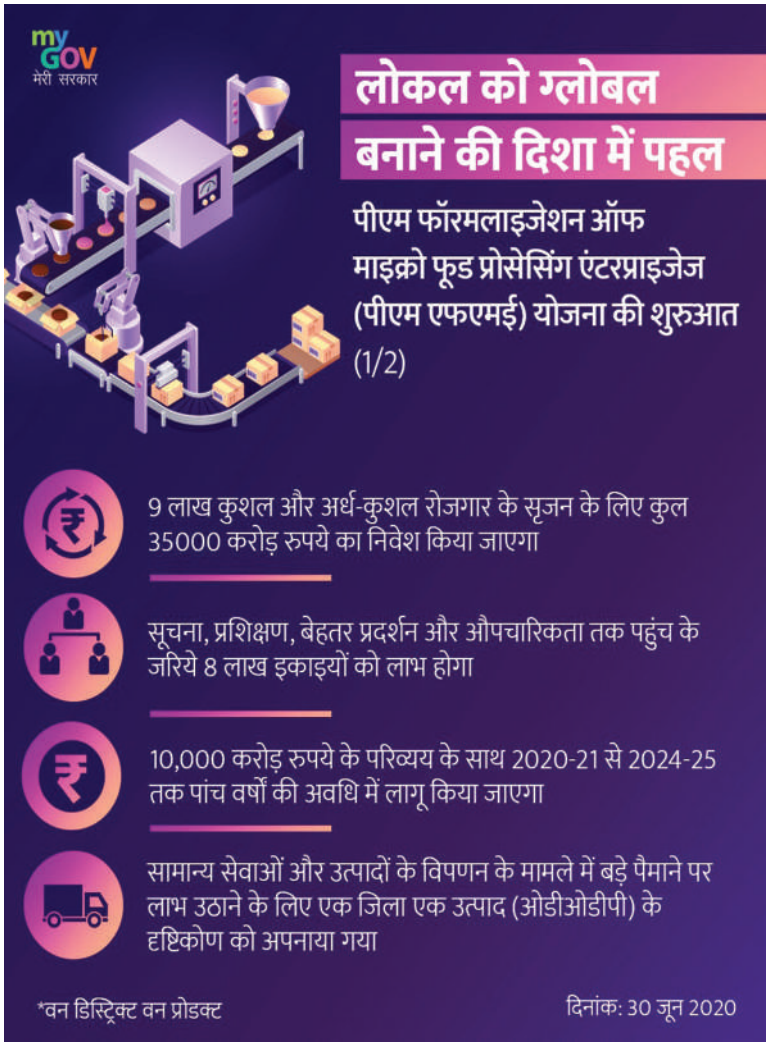

सरकार के पास संसाधनों की कमी हो तो इसमें निजी क्षेत्र की मदद ली जा सकती है। तमाम बड़ी कंपनियां अभी तक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत कई गैर–जरूरी गतिविधियों में लगी रहती हैं। इसके बजाय उनके लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जा सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि अपने कारखानों के आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण दें कि वे कंपनियों के काम आ सकें। मसलन वाहन कंपनी अपने कारखाने के आसपास रहने वालों को गाड़ियों के छोटे कल–पुर्जे बनाना सिखा सकती है। प्रशिक्षण के बाद वे कारखाने में नौकरी भी पा सकते हैं और अपना उद्यम भी शुरू कर सकते हैं, जहां से कारखाने को ही माल की आपूर्ति हो सकती है। दूसरे क्षेत्रों की कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं।

आयातित माल की झड़ी छोटे उद्यमों की एक और फांस थी। चीन के साथ झड़प होने से वहां से आयात पर रोक लगाने के कदम उठने लगे हैं। आम जनता भी चीनी सामान

लेने से परहेज कर रही है। लेकिन यह केवल चीन तक सीमित नहीं हो बल्कि तमाम देशों से ऐसा तैयार माल लेना बंद नहीं तो कम से कम किया जाए, जो भारत में भी बनता है। कच्चे माल के आयात पर रोक चाहे नहीं लगे मगर एमएसएमई इकाइयों में बनने वाला छोटा–मोटा सामान तो विदेश से बिल्कुल नहीं मंगाया जाए। साथ ही जो सामान बड़े पैमाने पर आयात होता है, उसे देश में ही तैयार करने का प्रशिक्षण एमएसएमई को दिया जाए, जिससे व्यापार घाटा कम होगा।

जागरूकता भी अहम पहलू है। जागरूकता की कमी से अभी एमएसएमई क्षेत्र, खासतौर पर ग्रामीण उद्यमी संस्थागत कर्ज़ हासिल करने में नाकाम रह जाते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं और उनकी सरलता का पता ही नहीं होता। साथ ही, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उत्पाद में मूल्यवर्धन करके किस तरह वे कई गुना अधिक कीमत हासिल कर सकते हैं। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण इसका उदाहरण है, जहां किसान 5 रुपये किलोग्राम टमाटर बेच देता है। लेकिन अगर मामूली निवेश के साथ सॉस, केचप, अचार बनाने की इकाई लगा ली जाए तो दस गुना अधिक कीमत पर उत्पाद बिकेंगे। उद्यमियों को निर्यात बाज़ार में हो रहे बदलाव की जानकारी भी दी जानी चाहिए ताकि वे बदलते चलन के हिसाब से अपने उत्पादों में भी तब्दीली करें और पारंपरिक उत्पादों तक सीमित रहकर कारोबार न गंवाएं।

छोटे उद्यमियों के लिए बाज़ार मुहैया कराना भी बेहद जरूरी है। हालांकि इसके लिए सरकारी ई–मार्केट प्लेस यानी जेम मोदी सरकार का शानदार कदम है। इसके ज़रिए छोटे उद्यमी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को सीधे सामान बेच पाते हैं। एक समय था, जब बड़े कारोबार और नामी ब्रांड के बगैर सरकार को सामान बेचना बहुत मुश्किल था मगर अगस्त, 2016 में शुरू किए गए इस पोर्टल के ज़रिए सरकारी खरीद में खासी पारदर्शिता आ गई है और खरीद किफायती भी हो गई है। इस पोर्टल में इस समय करीब 3.87 लाख विक्रेता हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा सूक्ष्म और छोटे विक्रेता हैं। यहां स्वयंसहायता समूहों को भी सामान बेचने का मौका मिलता है। इस पोर्टल पर 54,148 करोड़ रुपये के सौदे हो चुके हैं।

चूंकि सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए हर साल कम से कम 25 फीसदी खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों से करना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए जेम से खासी खरीद हो रही है। मगर बड़ी दिक्कत यह है कि यहां से खरीद के बाद विक्रेताओं के भुगतान में अक्सर बड़ी देर हो जाती है। यही वजह है कि कोविड–19 संकट आने के बाद सरकार ने खरीद के 45 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य कर दिया है। एमएसएमई की वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए और उन्हें संस्थागत कर्ज़ भी मुश्किल से मिलते देखकर इस मियाद को और भी कम किया जाना चाहिए। सरकार ने देर होने पर एक फीसदी मासिक की दर से जुर्माना वसूले जाने की बात भी कही है, जिसे सरकारी कोष में रखा जाएगा। जुर्माने की दर बढ़ाई जानी चाहिए और उसका एक हिस्सा पीड़ित उद्यमी को भी मिलना चाहिए।

इसके अलावा, सरकार रिटेल कंपनियों के लिए एमएसएमई से खरीद अनिवार्य भी कर सकती है। वॉलमार्ट जैसी थोक कारोबार वाली कंपनियों के लिए एमएसएमई से कम से कम 30 प्रतिशत खरीद पहले ही अनिवार्य कर दी गई है। देसी–विदेशी रिटेल कंपनियों और ई–कॉमर्स कंपनियों के लिए भी ऐसा ही निर्देश दिया जा सकता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि रिटेल कंपनियां अपने ब्रांड की कीमत कम और छोटे उद्यमियों से लिए सामान की कीमत ज़्यादा रखती हैं, जबकि उद्यमियों से यह सामान बहुत कम कीमत पर लिया गया होता है। इसका नुकसान यह होता है कि ग्राहक रिटेल ब्रांड का सस्ता सामान खरीद लेता है। इसलिए यह भी तय किया जा सकता है कि रिटेल कंपनी उद्यमियों खासकर कुटीर उद्योगों और महिला स्वयंसहायता समूहों से लिए माल पर कितना मार्जिन ले सकती हैं।

(लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और वर्तमान में बिज़नेस स्टैंडर्ड में कार्यरत हैं।)

ई–मेल : Rishabhakrishna@gmail.com

महामारी को खत्म करने की वैश्विक स्पर्धा में भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन

–डॉ टीवी वेंकटेश्वरन

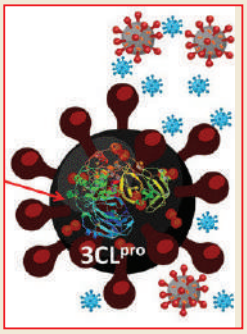

भारत बायोटेक द्वारा को वैक्सीन और जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव–डी वैक्सीन की घोषणा के साथ कोविड–19 के खिलाफ जंग में एक आशा की किरण उभरी है। इन वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सीडीएससीओ (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) द्वारा अनुमति दी गई है। इससे इस महामारी के अंत की शुरुआत हो सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत एक महत्वपूर्ण वैक्सीन निर्माण हब के रूप में उभरा है। यूनिसेफ को आपूर्ति की जाने वाली कुल वैक्सीन में भारतीय निर्माताओं का हिस्सा 60 प्रतिशत है। नोवेल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन दुनिया में कहीं भी विकसित की जा सकती है, लेकिन भारतीय निर्माताओं के बिना पर्याप्त मात्रा में उत्पादन संभव नहीं है।

वैक्सीन स्पर्धा

140 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं। प्रमुख उम्मीदवार वैक्सीन हैं– ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एजेडडी 1222 वैक्सीन, जिसके निर्माण का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका को दिया गया है, जो ब्रिटिश–स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा और बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है और जिसका मुख्यालय कैंब्रिज, इंग्लैंड में है। कैंसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन द्वारा विकसित एमआरएनए–1273 वैक्सीन का लाइसेंस अमेरिका स्थित मॉडर्न फार्मास्युटिकल को मिला है। इन दोनों कंपनियों ने पहले ही कोविड वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ समझौते किए हैं।

समानांतर रूप से वैक्सीन के विकास के लिए भारतीय संस्थान भी अनुसंधान एवं विकास के कार्य में लगे हुए हैं। आईसीएमआर, पुणे; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे और सीएसआईआर– सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद जैसे संस्थानों से आने वाले प्राथमिक वैज्ञानिक इनपुट के साथ, छह भारतीय कंपनियां कोविड–19 के वैक्सीन पर काम कर रही हैं। दो भारतीय वैक्सीन, जाइकोव–डी तथा कोवाक्सिन के साथ, दुनिया भर में, 140 वैक्सीन उम्मीदवारों में से 11 के मानव परीक्षण चरण की शुरुआत हो गई है।

प्रतिरक्षा प्रणाली

रोगाणु के एंटीजन और मानव प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एंटीबॉडी को संगत जोड़ी के रूप में सोचा जा सकता है। प्रत्येक रोगाणु की विशिष्ट आणविक संरचनाएं होती हैं जिसे एंटीजन कहा जाता है। वे एक सतह की तरह होते हैं जिनका विशेष रंग और डिज़ाइन होता है। रोगाणु से संक्रमित होने के बाद, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो एंटीजन के समान होती है।

जिस तरह खुदरा विक्रेता विशेष रंग और डिज़ाइन के सामानों का भंडार रखता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी दस हजार प्रकार के एंटीबॉडी हैं। यदि रोगाणु एक जाना–पहचाना दुश्मन है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली स्टॉक से मिलते–जुलते डिज़ाइन का उपयोग करती है। मिलान हो जाने के बाद रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। अब यह संक्रमित नहीं कर सकता है।

हालांकि, अगर सूक्ष्मजीव अपरिचित है, और मुख्य रूप से जब यह पहली बार उभरा है, तो सूची में कोई रंग और डिज़ाइन उपलब्ध नहीं होता है। फिर भी, एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। सबसे पहले, निकटतम समानता की कोशिश की जाती है। एंटीबॉडी विकास के विभिन्न चक्रों के बाद, जो एंटीबॉडी सबसे सटीक होती है वह परिपक्व होती है। मुख्य सतह के रंग की पहचान करने (एंटीजन) तथा समान डिज़ाइन का युग्मन करने (एंटीबॉडी) के बीच का समय–अंतराल ही संक्रमण को हल्का या गंभीर बनाता है। यदि प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणु को तुरंत बेअसर कर सकती है, तो संक्रमण को रोका जा सकता है।

प्रतिरक्षा प्रणाली स्मरण शक्ति और वैक्सीन

जैसे नए डिज़ाइन को भविष्य के लिए स्टॉक किया जाता है, उसी तरह जब एंटीजन से मेल खाते हुए नए एंटीबॉडी का विकास होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली इसे स्मृति में बनाए रखती है। अगली बार जब लगभग समान रोगाणु आक्रमण करता है, प्रतिरक्षात्मक स्मृति सक्रिय हो जाती है, और जुड़वां एंटीबॉडी जारी की जाती है। संक्रमण को शुरुआत में ही ख़त्म कर दिया जाता है। हमें प्रतिरक्षा हासिल होती है।

वैक्सीन कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षात्मक स्मृति को प्रेरित करने की एक विधि है। जब रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को युग्मित (मेल खाती हुई) एंटीबॉडी और प्रतिरक्षात्मक स्मृति को विकसित करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है।

ऐसे कई तरीके हैं जिनके ज़रिए एंटीबॉडी और स्मृति (मेमोरी) को विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कृत्रिम रूप से

कोविड–19 के संभावित चिकित्सीय विकल्प हो सकते हैं चाय और हरड़: आईआईटी दिल्ली

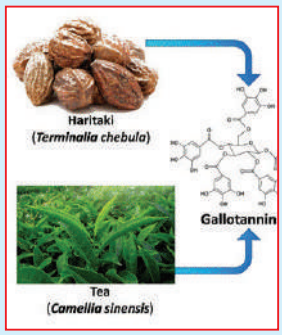

दुनिया भर के वैज्ञानिक कोविड–19 से लड़ने के लिए वैक्सीन और दवाओं के विकास पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने चाय (Camellia sinensis) और हरितकी (Terminalia chebula) में ऐसे तत्व का पता लगाया है, जिसके बारे में दावा है कि यह कोविड–19 के उपचार में एक संभावित विकल्प हो सकता है।

इस अध्ययन का नेतृत्व कर रहे आईआईटी दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ता प्रोफेसर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि "हमने प्रयोगशाला में वायरस के एक मुख्य प्रोटीन 3सीएल–प्रो प्रोटीएज को क्लोन किया है और फिर उसकी गतिविधियों का परीक्षण किया है। इस अध्ययन के दौरान वायरस प्रोटीन पर कुल 51 औषधीय पौधों का परीक्षण किया गया है। इन विट्रो परीक्षण में हमने पाया कि ब्लैक–टी, ग्रीन–टी और हरितकी इस वायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधि को बाधित कर सकते हैं।"

चाय (Camellia sinensis) महत्वपूर्ण बागान फसल है। इसके एक ही पौधे से ग्रीन–टी और ब्लैक–टी मिलती है। इसी तरह, हरितकी, जिसे हरड़ भी कहते हैं, को एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता है।

प्रोफेसर पटेल ने बताया कि "विस्तृत आणविक तंत्र की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने चाय और हरितकी के सक्रिय तत्वों की जांच शुरू की तो पाया कि गैलोटेनिन (Gallotannin) नामक अणु वायरस के मुख्य प्रोटीन की गतिविधि को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है। ब्लैक–टी, ग्रीन–टी या फिर हरितकी भविष्य में कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार विकसित करने में प्रभावी हो सकते हैं। परंतु, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत होगी।"

शोधकर्ताओं का कहना है कि वायरस का 3सीएल–प्रो प्रोटीएज वायरल पॉलीप्रोटीन के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। इसलिए, यह वायरस को लक्षित करने वाली दवाओं के विकास के लिए एक दिलचस्प आधार के रूप में उभरा है। उनका मानना है कि इस प्रोटीन को लक्ष्य बनाकर वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है।

प्रयोगशाला में किए गए इस शोध के बाद चाय और हरितकी को कोविड–19 संक्रमण रोकने में संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अध्ययनकर्ताओं का कहना यह भी है कि इस शोध के नतीजों की वैधता का परीक्षण जैविक रूप से किया जा सकता है। इस अध्ययन के नतीजे शोध पत्रिका फाइटोथेरैपी रिसर्च में प्रकाशित किए गए हैं।

उत्प्रेरित किया जा सकता है। मूल बात है कि नोवेल कोरोना वायरस के एंटीजन को मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए प्रस्तुत करना। एडिनोवायरस–आधारित (श्वसन–तंत्र को संक्रमित करने वाले रोगाणु) तथा जीवित व कमज़ोर किए गए वायरस से लेकर पुनः संयोजक आनुवांशिक तकनीक का उपयोग वैक्सीन को विकसित करने के लिए किया जाता है। भारत की दो संभावित वैक्सीन हैं– निष्क्रिय वायरस वैक्सीन और डीएनए प्लास्मिड वैक्सीन।

ये वैक्सीन कैसे करते हैं काम

हम गर्मी या फॉर्मेल्डिहाइड से वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं (मार सकते हैं) तथा एंटीजन आणविक संरचनाओं को बरकरार भी रख सकते हैं। निष्क्रिय वायरस बीमारी या संक्रमण पैदा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि यह अब काम नहीं कर सकता है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन– निष्क्रिय वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए उस वायरस का उपयोग किया है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा एक भारतीय मरीज से अलग किया गया था।

नोवेल कोरोना वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन मानव श्वसन पथ की कोशिकाओं की सतह पर एसीई 2 रिसेप्टर्स के साथ बंध जाता है। जब वायरस एकरूप (फ्यूज़) हो जाता है तो वायरल जीनोम मानव कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जहां सिर्फ दस घंटों में लगभग एक हजार वायरस बन जाते हैं। ये शिशु वायरस पास की कोशिकाओं में जाते हैं। संक्रमण को रोका जा सकता है यदि हम नोवेल कोरोनवायरस के स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार स्पाइक प्रोटीन पर एंटीजन, वैक्सीन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यदि एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन को अवरुद्ध करती है, तो वायरस कोशिका से एकरूप नहीं हो सकता है और अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है।

स्पाइक प्रोटीन का जीनोम कोड एक हानिरहित डीएनए प्लास्मिड में मिलाया जाता है। वायरल स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक कोड वाले इस संशोधित प्लास्मिड डीएनए को मेज़बान कोशिकाओं में पेश किया जाता है। सेलुलर मशीनरी डीएनए की पहचान करती है और जीनोम में एन्कोड किए गए वायरल प्रोटीन बनाती है। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी प्रोटीन की पहचान करती है और इसके समान एंटीबॉडी विकसित करती है। इस वैक्सीन को देने के बाद, यदि किसी भी समय, हम नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, तो स्पाइक प्रोटीन को समझते हुए तुरंत एंटीबॉडी जारी हो जाती हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निष्क्रिय वायरस को समाप्त कर दिया जाता है। संक्रमण होने से पहले ही रोग–संचार को ख़त्म कर दिया जाता है।

(पीआईबी से साभार)

ग्रामीण भारत के विकास इंजन प्रवासी श्रमिक

–डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव

वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की उपयोगिता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के ये 'पृष्ठभूमि नायक' विकास इंजन हैं और अगर उन्हें उपयुक्त औजारों और तकनीकों से लैस किया जाए तो वे इस संकटकाल में तारणहार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1 प्रतिशत तक सिमटने का अनुमान लगाया है जबकि पिछले पूर्वानुमान में यह वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी। दुनिया भर में लाखों श्रमिकों और पेशेवरों को अपनी नौकरी खोने की कठोर संभावना का सामना करना पड़ रहा है। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण भारत में आर्थिक परिदृश्य कुछ अधिक भिन्न नहीं है। तेज़ आर्थिक मंदी को रोकने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के नए तरीकों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत को ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिसमें अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि

कृषि क्षेत्र का योगदान 265 बिलियन डॉलर है जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 17 प्रतिशत है और भारतीय जनसंख्या के 60–70 प्रतिशत (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। विश्व भर के किसानों का लगभग एक चौथाई भाग भारत में है और यहां विश्व की कृषि योग्य भूमि का 48 प्रतिशत हिस्सा है। वर्तमान में भारत दुनिया में दलहन और दूध का शीर्ष उत्पादक; गेहूं, चावल, सब्जियों, फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और खाद्यान्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि देश ने अनेक गैर–कृषि क्षेत्रों जैसे सेवा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है फिर भी कृषि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 64 प्रतिशत भारतीयों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है।

नीति आयोग के अनुसार वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र आशा की किरण है और इसके वित्त वर्ष 2020–21 में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है। वर्तमान में यह गैर–कृषि क्षेत्र से 60 प्रतिशत अधिक वृद्धि कर रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में इसके 40–60 प्रतिशत अधिक बढ़ने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है जो विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। अब जबकि बाज़ार कायम है और कीमतें डूबी नहीं हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

हम अर्थव्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं?

वर्तमान महामारी के कारण शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में स्थित उद्योगों, विनिर्माण कार्यों, निर्माण इकाईयों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का पूर्णतया बंद होना देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व तरीकों से प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति ने सभी को पिछली चूकों और दुनिया को फिर से नए रूप में ढालने के बारे में सोचने को बाध्य कर दिया।

आज पूरा देश 'आत्मनिर्भर' भारत की ओर अग्रसर है। वास्तव में यह हमारे कृषि क्षेत्र को फिर से शुरू करके अपने प्रयासों को दिशा देने का एक अच्छा अवसर है क्योंकि कृषि क्षेत्र में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का सृजन करने का लक्ष्य प्राप्त करने और इस मिसाल के साथ दुनिया का नेतृत्व करने की जबर्दस्त क्षमता है। सभी के समक्ष हमें प्रदत्त हमारे गांवों, हमारी जड़ों, सरल विज्ञान और विविधता की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने की चुनौती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और ग्रामीण–शहरी प्रवास को घटाने के लिए तीव्र परिवर्तन की आवश्यकता है। शहरों पर अवांछित दबाव को कम करने और संकटकाल में एक तारक की अहम् भूमिका निभाने के लिए गांवों को आर्थिक विकास की धुरी के रूप में पुनर्निर्मित किए जाने की आवश्यकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति

यह उपयुक्त समय है जब हम एक पूर्तिकर्ता के रूप में विश्व खाद्य बाज़ार में संभावनाएं तलाश सकते हैं। ऐसा होने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर पाने के लिए हमें अपने कृषि के बुनियादी ढांचे और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से उन्नत करने की आवश्यकता है। यद्यपि हम इस वर्ष स्वतः धान या दालों के बड़े निर्यातक नहीं बन सकते हैं लेकिन हमें उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

अतीत में निर्यात में सबसे बड़ा रोड़ा नीति निर्धारण और खाद्यान्न की कमी वाली मानसिकता रहा है; लेकिन अब किसान विश्व बाज़ार में कदम रखने को तैयार हैं। यह देखते हुए कि घरेलू मांग को कुछ साल के लिए घटाया जाएगा, जब तक रोज़गार और आय सामान्य नहीं होती, हमें कृषि क्षेत्र को निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। वैश्विक बाज़ार में उच्च–स्तरीय प्रवेश का यह सही समय है। आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सबसे पहली आवश्यकता कृषि की भूमिका को स्वीकार करना है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 298.3 मिलियन टन है, जबकि 2019–20 में यह 291.95 मिलियन टन और 2018–19 में 285.20 मिलियन टन था। महामारी में लॉकडाउन के दौरान दूध, आवश्यक खाद्यान्न या सब्जियों की कोई कमी नहीं थी और दूध की आपूर्ति–शृंखला भी पूरी तरह से जारी थी। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की

भूमिका कोई नया एजेंडा नहीं है। बहुत समय पहले से हम ग्रामीण समुदायों और ग्रामीण भारत के निर्माण और विकास की चर्चा करते रहे हैं। अब हमने ग्रामीण भारत की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में व्यापार बंद होने का जोखिम अधिक अनुभव किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहतर होने की गति भी तेज़ है इसलिए व्यवसाय को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। अब जब हम इस संकट से गुजर रहे हैं तो ग्रामीण भारत में व्यापक परिवर्तन स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

विपरीत प्रवास परिदृश्य

सरकार को अल्प समय में रोग के प्रसार को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पादक तरीके से बड़ी संख्या में प्रवासियों को समायोजित करने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय की आवश्यकता है क्योंकि वे वर्तमान स्थिति के कारण शहरों में जल्दी वापस नहीं आना चाहेंगे। अल्पकालीन उपाय लंबे समय तक मदद नहीं कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह लाभ उठाने और हमारी मज़बूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए हमें अपने किसानों को अहमियत देने की जरूरत है– जो हर किसी को भोजन प्रदान करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।

सरोकार और मुद्दे

कोविड –19 के कारण अप्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने–बाने और सामान्य कानून

व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। चूंकि ऐसे मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उन्हें अपने कौशल के आधार पर रोज़गार उपलब्ध कराना एक कठिन काम है। यदि हम इस चुनौती का उपयोग अपनी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए एक रचनात्मक अवसर के रूप में करते हैं तो प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। डॉ.राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने कई तरह की कृषि आधारित तकनीकें विकसित की हैं जो इन वापिस लौटने वाले श्रमिकों को कौशल–आधारित नौकरियां प्रदान कर समर्थ बना सकती हैं। हालांकि छोटी अवधि में इन प्रवासी श्रमिकों को समायोजित करना और उन्हें रोज़गार प्रदान करना एक कठिन काम है लेकिन सरकार की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन प्रवासी श्रमिकों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इस प्रकार इस वर्ष कृषि क्षेत्र पूरे वर्ष के लिए आजीविका और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र होगा क्योंकि इस महामारी के कारण आय के अन्य स्रोत बाधित होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने से अच्छी आजीविका, भोजन और पोषण सुरक्षा हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

संकट काल की बाधाएं

कोविड –19 महामारी ने हमारी खाद्य प्रणाली की कमज़ोरियों को उजागर किया जैसे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, श्रम बलों में कमी, बुनियादी खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों का निम्न आय वर्ग के लोगों पर वार, आपूर्ति में क्षति, उत्पादन में गिरावट और मांग में मंदी। जलवायु संबंधी अवरोधों का हमारी आधुनिक खाद्य प्रणालियों पर प्रभाव एक सर्वविदित तथ्य है। हमें जलवायु परिवर्तनों को झेलने में सक्षम कम लागत वाली कृषि प्रणाली द्वारा छोटे भूमिधारकों के लिए खेती को और अधिक व्यवहार्य बनाने की जरूरत है और सुदृढ़ मांग व बढ़ते निर्यात के साथ अपने खुद के कृषि बाज़ार का संचालन करना चाहिए।

सबका साथ सबका विकास

सरकारी संगठन और निजी उद्योग कृषि क्षेत्र में उचित परिवर्तन के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने और पारंपरिक से नई कृषि शैली की दिशा में बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान के एजेंडे को फिर से परिभाषित करना और बाज़ार संचालित अनुसंधान के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ाने पर कार्यवाही जारी है। समय पर सूचना के साथ खाद्य प्रणाली को दीर्घकालिक और लचीला बनाने और ग्रामीण–शहरी अंतर को पाटने के लिए तथा अधिक रोज़गार संभावनाओं के साथ कृषि को अगली पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाने के लिए नए कौशल सेटों की आवश्यकता है। हम खाद्य सुरक्षा से पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा और बाज़ार–आधारित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नई नीतियों, विनियमों और सुधारों के साथ दक्षता में वृद्धि कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय विकास पर पहले से ही आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है। कुछ सांकेतिक उपाय जो लागू किए जा सकते हैं, उनकी चर्चा नीचे की गई है।

आगे की राह

इस मंदी के दौर में कृषि क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आने वाले महीनों में सबसे बुनियादी कदम कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है। यह बेहतर बुनियादी ढांचे और नीति निर्धारण द्वारा अधिक कार्यबल को अवशोषित करने के माध्यम से ग्राम सुधार को बढ़ावा देने का एक अवसर है। नीतिगत ढांचे को कृषि के लिए और अधिक मददगार बनाने की आवश्यकता है। आधुनिक खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में कम आय वाले किसानों का कौशल विकास करना घरेलू खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सही कदम है और इसे परिस्थितियों के दीर्घकालिक सुधार की योजना के केंद्र में होना चाहिए। सिंचाई और कृषि प्रौद्योगिकी में तेज़ी से उठाए कई नए कदम, आधुनिकीकरण और सुधारों के बावजूद कृषि योग्य भूमि अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही है। ये उद्यम उत्पादन, रोज़गार और आय की इकाइयों के रूप में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए नीति समर्थन के पैकेज की आवश्यकता है।

प्रस्तावित प्रक्रिया

समय की मांग है कि इन श्रमिकों को उनके मौजूदा

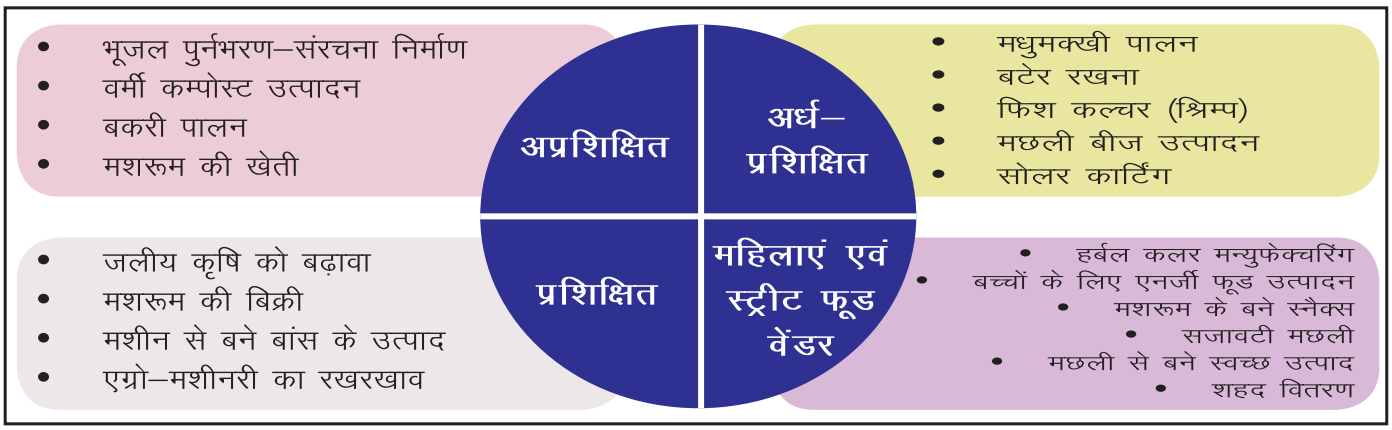

कौशल, अनुभव और शिक्षा के आधार पर पुनः प्रशिक्षित किया जाए। श्रमिकों को नई प्राथमिकताओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और हमें उनकी क्षमता को महत्व देना चाहिए। हम उन्हें मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं (देखें ग्राफिक–1):

1. अकुशल (कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार)
2. अर्ध–कुशल (श्रमिक के रूप में हमेशा काम करने के लिए तैयार नहीं)
3. कुशल (कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में)
4. महिला श्रमिक (गृहिणी और घरेलू सहायिका के रूप में शामिल) और पटरियों में स्ट्रीट फूड बेचने वाले

1. आरपीसीएयू, पूसा की भूमिका

आरपीसीएयू, पूसा में विकसित तकनीकों के माध्यम से रि–स्किलिंग के कुछ विशेष प्रशिक्षण हैं:

- जैविक खाद के लिए घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य व्यर्थ पदार्थ।
- बकरी की तेज़ी से बढ़ने वाली बोअर नस्ल का पालन।
- मशरूम की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण।
- उपलब्ध गहरे जल स्रोत में मत्स्य पालन।
- विश्वविद्यालय में विकसित सौर वाहन द्वारा उत्पादों की साफ़–सुथरी बिक्री और सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादों का लंबे समय तक संरक्षण।
- कम जगह में मत्स्यपालन का पुनःसंचरण।
- केला, बांस, अरहर आदि के तनों जैसे व्यर्थ पदार्थों से आमदनी।
- कौशल विकास, तकनीकी जानकारी और रखरखाव कार्य प्रशिक्षण।
- महिलाओं को उनके सामान्य हुनर द्वारा सशक्त बनाना–जैसे वनस्पति द्वारा गुलाल बनाना, एनर्जी फूड तैयार करना, मूल्यवर्धन गतिविधियां जैसे मशरूम प्रसंस्करण, समोसा, लड्डू, स्नैक्स, अचार, सजावटी मत्स्य पालन और शहद उत्पादन।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पहल

- जल संचयन संरचनाओं का निर्माण
- वृक्षारोपण
- भूमि विकास गतिविधियां
- बंजर भूमि का प्रभावी उपयोग
- प्रवासी कृषि उद्यमियों के रूप में लौटने वाले प्रवासियों को कृषि और गैर–कृषि आजीविका के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- किसानों के लिए क्षमता निर्माण
- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण
- सामुदायिक संगठन से अधिक से अधिक किसान संगठन गठित करना
- आजीविका का विविधीकरण
- आय सृजन के लिए गैर–परंपरागत तरीकों की खोज करना जो किसानों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
- अतिरिक्त आय और उपजीविका उत्पन्न करने के नए विकल्पों के रूप में अहाते में कुक्कुट और बकरी पालन और उसे बढ़ाने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।
- ग्रामीण आजीविका उपार्जन प्रमुख रूप से जल की उपलब्धता के इर्द–गिर्द होता है, जिसे मनरेगा के तहत जलसंचय संबंधी निर्माण कार्यों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
- रोज़गार पैदा करना और बड़े पैमाने पर संपत्ति का निर्माण जिससे उत्पादकता में सुधार लाया जा सकता है और जो आने वाले समय में गांवों में समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।
- प्रवासियों को किसी न किसी गतिविधि में शामिल करने की क्षमता, बोझ नहीं समझ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अवसर समझना।
- कृषि संवर्धन के लिए संभावित कौशल आधारित गतिविधियां
- छोटे पैमाने पर कृषि उपकरण निर्माण
- जैविक खाद तैयार करना
- कृषि उद्यमिता और तकनीकी कौशल विकास

- मूल्य संवर्धन
- नकदी फसल उत्पादन
- कौशल आधारित नौकरियां

3. खेती में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

खेती में महिला किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पुरुष समकक्ष शहरी क्षेत्रों में जाकर अन्य काम करने लगे। आज भारत में कृषि कार्यबल में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की हिस्सेदारी है। महिला किसानों का बढ़ता अनुपात यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण कृषि काफी हद तक महिलाओं की भागीदारी पर निर्भर करती है। हालांकि, भारत की केवल 10 प्रतिशत से कम भूमि महिलाओं के स्वामित्व में है और अभी भी संसाधनों तक उनकी पहुंच पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। अब समय आ गया है कि इन लैंगिक असमानताओं को समाप्त किया जाए जिससे कृषि उत्पादकता में बेहतर परिणाम मिल सकें। महिला किसानों को अपने मनोबल को बढ़ाने और अन्य महिला किसानों को भी प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए सम्मान और पुरस्कार की आवश्यकता है।

4. किसान नेतृत्व वाले संगठनों को बढ़ावा देना

भारत में कृषि क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च कारोबार लागत और ऋण व कृषि उपज बाज़ारों में कम पहुंच से बाधित है। इसलिए जरूरत है बिचौलियों के व्यापार के महत्व को कम करने की और किसानों को अपनी उपज का सीधे विपणन करने की। इससे निश्चित रूप से कृषि में बेहतर मूल्य प्राप्ति के साथ निवेश बढ़ेगा। एक संभावित समाधान किसान संगठनों का गठन और उनके माध्यम से समूह या क्लस्टर खेती को बढ़ावा देना हो सकता है जिससे ग्रामीण भारत के वास्तविक लाभ को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।

5. आकस्मिक फसल योजना

कृषि को अधिक लाभदायक और स्थायी बनाने के लिए हमें विभिन्न कृषि जलवायु और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के आधार पर फसल योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। मुख्य फसल के मौसम के लिए पहले से ही एक आकस्मिक फसल योजना किसानों को किसी वर्ष के दौरान मौसम की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन के प्रति समय पर कदम उठाने के लिए किसानों को सक्षम बनाने और जोखिमों को कम करने के लिए इष्टतम दूरी पर स्थानीय स्वचालित मौसम केंद्र स्थान विशेष हेतु फसल संबंधी मौसम परामर्श में मदद करेंगे। जलवायु के कारण फसलों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर सीमांत और छोटे किसानों को उनके लिए उपलब्ध संसाधनों और भावी उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

6. कृषि या सामाजिक उद्यमिता और तकनीकी कौशल विकास

अब समय उपयुक्त है जब इन क्षेत्रों में जीवंत उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए समुदाय में प्रगतिशील युवाजन का दोहन करना चाहिए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके। जरूरत इस बात की है कि उन्हें उचित परिस्थितियां प्रदान की जाएं और उन्हें साथ लाया जाए क्योंकि कुछ प्रवासी प्रौद्योगिकी के साथ सहज हैं और पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं इसलिए ग्रामीण आजीविकाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें आगे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की उपयोगिता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण भारत के ये 'पृष्ठभूमि नायक' विकास इंजन हैं और अगर उन्हें उपयुक्त औजारों और तकनीकों से लैस किया जाए तो वे इस संकटकाल में तारणहार के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोविड उपरांत भारत में चले गांव की ओर नारे को बल प्रदान करने के लिए यह समय उचित है। इस संकट ने हमें थाली में भोजन के महत्व को समझने के लिए मज़बूर किया है और पूरे कृषि कार्यबल ने सामान्य जन के लिए इसे उपलब्ध कराने के लिए अथक परिश्रम किया है। यह हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था और गांवों को पुनः निर्मित करने और ऊपर सूचीबद्ध ग्रामीण पुनरुत्थान के सुझाए साधनों का उपयोग करके एक स्थायी और लचीला समाज बनाने का सबसे उपयुक्त समय है।

(लेखक डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर (बिहार) में कुलपति हैं।)
ई–मेल : vc@rpcau.ac.in

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में बैंकों की भूमिका

–सतीश सिंह

बैंक से जुड़ने से एक ओर समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को अपनी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे– बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि सुविधाओं के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी ओर, इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी, जिससे देश में धन का प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को मज़बूत बनाने वाले अनेक उपायों की घोषणा की। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), ग्रामीण क्षेत्र में किफायती आवास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए। साथ ही, नीतिगत उपायों के ज़रिए भी ग्रामीण क्षेत्र को मज़बूत बनाने की घोषणा की गई।

राहत प्रावधान

कृषि क्षेत्र के विकास पर ज़ोर

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी और 43 प्रतिशत रोज़गार लोगों को कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। इस क्षेत्र की उपेक्षा करके देश में समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए राहत पैकेज में किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख अन्य कृषि ऋण मंजूर किए गए, जो राशि में 86 हजार 600 करोड़ रुपये हैं। पच्चीस लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को भी मंज़ूरी दी गई। कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय बैंकों को नाबार्ड ने मार्च 2020 में 29 हजार 500 करोड़ रुपये दिए थे, जिसका वितरण खरीफ फसलों की बुवाई के समय करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को 4,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों को मियादी ऋणों पर क़िस्त एवं ब्याज तथा फसली ऋणों पर ब्याज चुकाने के मामले में 6 महीनों का मोराटोरियम दिया गया है अर्थात क़िस्त एवं ब्याज को 6 महीनों के लिए टाल दिया गया है। फसल की खरीद के लिए 6,700 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध कराई गई है। नाबार्ड छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये बैंकों को सब्सिडी के रूप में देगा, जिसका फायदा 3 करोड़ किसानों को मिलेगा। यह सब्सिडी किसानों को तभी मिलेगी,

जब किसान अपने ऋण खाते को सही से चलाएंगे। किसानों को आर्थिक मोर्चे पर राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 जून, 2020 तक 9 करोड़ 83 लाख किसानों के खाते में 6 हजार रुपये डाले गए हैं।

हर्बल खेती करने के लिए किसानों को 4 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार की इस पहल से आगामी 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती किए जाने का अनुमान है। इससे किसानों की आय में समग्र रूप से 5 हजार करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रीन' शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत आलू, टमाटर और प्याज की खेती की जाएगी। बाद में, इसमें दूसरी सब्जियों को भी शामिल किया जाएगा। इस मद में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। आज भी सब्जियों एवं अनाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक बड़ी समस्या है। इसके लिए सडक मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण की समुचित सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को अपने फसलों को औने–पौने कीमतों पर बेचना पड़ता है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में भंडारण की सुविधा हो। इसके लिए, सरकार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने वाले कारोबारियों को कुल लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के फॉर्मलाइज़ेशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष भी बनाया जाएगा, जो क्लस्टर संकल्पना पर आधारित होगा। इसके लिए, देश के अलग–अलग हिस्सों के उत्पादों को ब्रांड बनाया जाएगा। इससे लगभग 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलने का अनुमान है। इससे जुड़े लाखों लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार की इस पहल से बिहार का मखाना, जम्मू कश्मीर का केसर, नॉर्थ ईस्ट का बंबू शूट, उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों आदि को लाभ होगा।

कृषि से संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा

खाद्य उत्पादन में मछली और एक्वाकल्चर का महत्वपूर्ण स्थान है। पोषण सुरक्षा देने के साथ–साथ यह क्षेत्र लगभग 1.4 करोड़ लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। यह क्षेत्र कृषि निर्यात को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि निर्यात में मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों का योगदान आकार के हिसाब से 13.77 लाख टन और राशि में 45,106.89 करोड़ रुपये है। यह कुल निर्यात का 10 प्रतिशत और कुल कृषि निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत है। इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में 0.91 प्रतिशत का योगदान है। इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार मत्स्य उद्योग के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये देगी। इससे मत्स्य और इसके उत्पादों का निर्यात बढ़कर दोगुना होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, इससे लगभग 50 से 55 लाख लोगों को रोज़गार मिलने का भी अनुमान है। 20,000 करोड़ रुपये में से 11,000 करोड़ रुपये समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन कारोबार एवं एक्वाकल्चर गतिविधियों को बढ़ाने हेतु दिया जाएगा। बची हुए 9,000 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल मत्स्य क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत संरचना को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा। मछुआरे जब मछली नहीं पकड़ते हैं, उस अवधि में उनके जीवकोपार्जन के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। मछुआरों एवं उनकी नाव का बीमा कराया जाएगा। सरकार द्वारा इन उपायों को मूर्त रूप देने से अगले 5 सालों में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होने और मत्स्य निर्यात के दोगुना होकर एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

पशुपालन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का एनीमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोष बनाया जाएगा। इस कोष की मदद से दुग्ध प्रसंस्करण एवं कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना शुरू करेगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने 13,343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अभी विविध बीमारियों के कारण अनेक पशु मर जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। आमतौर पर पशु मुंहपका, खुड़पका और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। इस योजना के तहत भैंस, भेड़, बकरी और सुअर का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे 53 करोड़ पशुओं को इन बीमारियों से मुक्ति मिलने का अनुमान है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मधुमक्खी पालकों को दी जाएगी, जिससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में इज़ाफा होगा। साथ ही, वे गुणवत्तापूर्ण शहद का उत्पादन भी कर सकेंगे।

नीतिगत उपाय

कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। तदुपरांत,

प्रसंस्करण करने वालों तथा मूल्य शृंखला के भागीदारों पर भंडारण सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय आपदा, भुखमरी जैसी आपात स्थितियों में भंडारण सीमा की बाध्यता रहेगी। अभी किसानों को कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है, लेकिन इस संशोधन से उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनकी आय में इज़ाफा होगा। किसान अपने कृषि उत्पादों को उचित कीमतों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीद–बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएंगी। हर फसल के सीज़न में बुवाई से पहले किसान फसल के मूल्य का अनुमान लगा सकें, इसके लिए भी सरकार देशव्यापी व्यवस्था कर रही है। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर वे अपना उत्पाद बेच सकें इसके लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही, एक केंद्रीय कानून बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत वे किसी भी राज्य में जाकर अपना उत्पाद बेच सकेंगे।

बैंकों की मदद से किसानों को होगा फ़ायदा

लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों को राहत देने के लिए सरकार ने लघु, छोटे और मझोले ग्रामीण कारोबारियों व किसानों को ऋण देने और आधारभूत संरचना को मज़बूत करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है, लेकिन इन घोषणाओं को बैंकों की मदद के बिना अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में बैंकों का आज़ादी के बाद से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाबार्ड, ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कृषि व संबद्ध क्षेत्र जैसे, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि–आधारित उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, मसलन स्कूल, सड़क, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तपोषण करने का काम लंबे समय से कर रहे हैं। बैंक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कृषि प्रसंस्करण तथा लघु, छोटे एवं मझोले कारोबारियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बैंक ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने, महिलाओं का सशक्तीकरण करने, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों के खाते में डालने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की पहुंच दुनिया के बाज़ार तक करने, बिचौलिये की भूमिका को ख़त्म करने आदि का काम कर रहे हैं। सच कहा जाए तो बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रदान कर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोज़गार वृद्धि में बड़ा योगदान दे रहे हैं।

वितीय समावेशन की मदद से ग्रामीण बन सकते हैं आत्मनिर्भर

"प्रधानमंत्री जनधन योजना" मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो पूर्व की "स्वाभिमान" नामक वित्तीय समावेशन योजना का परिवर्धित रूप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेशन वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा

के अलावा नकद प्रबंधन को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी–कभार ग्रामीणों के घर में चोरी भी हो जाती है या उनके परिवार के पुरुष सदस्य शराब पीकर या जुआ खेलकर पैसे उड़ा देते हैं। पशु, खाद व बीज खरीदने के लिए किसान को अक्सर गांव के पास के बाज़ार या दूसरे शहर जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पैसों के गुम होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार इस योजना की मदद से ग्रामीणों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, क्योंकि बैंक में खाता खुलने से ग्रामीण अपनी जमा–पूंजी बैंक में रखेंगे, जिससे उनके पैसे चोरी या बर्बाद होने से बच जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और गरीबी दूर करने की सबसे प्रमुख योजना बन गई है। इस योजना की मदद से महिलाओं और समाज के वंचित तबके को बैंकों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैंक ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर भी कर रहे हैं। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को ऋण, बीमा और रुपे या एटीएम कार्ड की सुविधा दी जा रही है। ऋण सुविधा मिलने से ग्रामीणों को स्वरोज़गार शुरू करने में मदद मिल रही है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को अमलीजामा पहनाने के लिए हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास, प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं देने, प्रत्येक इच्छुक और पात्र ग्रामीण वयस्क, जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है, को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने, मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने आदि मोर्चों पर भी बैंक कार्य कर रहे हैं। बैंक से जुड़ने से एक ओर समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को अपनी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए

धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे– बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि सुविधाओं के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो दूसरी ओर, इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी, जिससे देश में धन का प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।

मुद्रा ऋण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (पीएमएमवाई) की मदद से की जा सकती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का भी कहना है कि पीएमएमवाई का भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में उल्लेखनीय योगदान है। इसीलिए, सरकार ने पीएमएमवाई के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह लाभ शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कम ब्याज दर के रूप में दिया जाएगा। पीएमएमवाई योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण, यथा, शिशु, किशोर और तरुण दिए जाते हैं। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर दिया जाता है। किशोर योजना के तहत स्वरोज़गार शुरू करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है और तरुण योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण जरुरतमंदों को दिया जाता है।

स्वरोज़गार शुरू करने वालों के लिए पीएमएमवाई बेहद ही फायदेमंद साबित हुआ है। लघु एवं मझोले उद्योग शुरू करने में भी यह योजना अत्यंत लाभकारी है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण देने का काम व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि कर रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (सांख्यिकी मंत्रालय) की वर्ष 2018 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ लघु उद्योग हैं, जिनमें 12 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। अधिकांश लघु उद्योग प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण की वजह से चल रहे हैं। सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए बड़ी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, पतंजलि, मेरु कैब, मेक माई ट्रिप, ज़ोमेटो, ओला, अमेज़न और अमूल के साथ करार किया है। इस योजना की मदद से समाज के कमज़ोर वर्ग जैसे, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। एक अनुमान के अनुसार इस योजना की मदद से देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। कोरोना महामारी से उपजे संकट से निपटने में भी इस योजना की महत्ती भूमिका रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

बैंक से जुड़ने पर किसानों को मिलने वाले फायदे

भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को योनो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसके ज़रिए किसान बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत किसान ई–स्टोर खोला गया है। यह भारत का पहला ई–स्टोर है, जो किसानों को कृषि सामग्री और कृषि से जुडी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह स्टोर देशभर के कृषि सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी वेबसाईट भी है, जिसमें कृषि उत्पादों से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। इस ई–स्टोर में बीज, पौधा–संरक्षण से संबंधित सामग्री, पौधा पोषण, कृषि से संबंधित विविध उत्पाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, कृषि जैव उत्पाद, नीम का तेल, ऑर्गेनिक उत्पाद, संवर्धक, कृषि उपकरणों के अग्रणी ब्रांडों की विस्तृत श्रृंखला जैसे, छिड़काव यंत्र, बुवाई यंत्र, आदि ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह कृषि उपकरण, सब्जियां, फल एवं अन्य पौधे आदि किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराता है।

भारतीय स्टेट बैंक किसानों के लिए मंडी, मित्र और कृषि गोल्ड ऋण आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। मंडी एवं मित्र के अंतर्गत किसानों की गैर–बैंकिंग जरूरतों को पूरा किया जाता है। मंडी के तहत किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराया जाता है जहां किसान बिना किसी बिचौलिये के लेन–देन कर सकते हैं। इस बाज़ार में किसानों को उनके उत्पादों की वास्तविक कीमत मिलती है। 'मित्र' के तहत किसानों को बैंककर्मी सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कृषि गोल्ड ऋण के अंतर्गत आसान शर्तों एवं सस्ती ब्याज दर पर किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह ऋण ग्रामीणों में बेहद लोकप्रिय हैं क्योंकि ग्रामीण भारत में सोने के गहने खरीदने का चलन प्राचीनकाल से है। सभी ग्रामीण महिलाओं के पास कुछ न कुछ सोने के गहने जरुर होते हैं जिसका कठिन परिस्थिति में इस्तेमाल करके वे अपनी नकदी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

योनो किसानों को पूर्ति और नपंता प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पूर्ति प्लेटफ़ॉर्म पर संवाद की भाषा देशी है, ताकि किसान आसानी से बीज, उर्वरक, कृषि उत्पाद आदि का ऑर्डर कर सकें। इससे जुड़े किसान इनकी खरीददारी के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। इसके ज़रिए युवा किसानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी भी मिल सकती है। इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से किसानों, बैंकों और विविध उत्पादों के आपूर्तिकर्ता को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है।

नपंता प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को बहुआयामी मदद करने के लिए की है। इस प्लेटफ़ॉर्म से लाखों किसान जुड़े हुए हैं। यह रियल टाइम बेसिस पर किसानों को बाज़ार में चल रही फसलों की कीमत के बारे में बताता है। इसके अलावा, यह फसल प्रबंधन, फसल बीमा, कृषि तकनीकी समस्याओं का समाधान एवं कोल्ड स्टोरेज से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

योनो पंपकार्ट, एग्रोस्टार और स्काईमेटवेदर प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पंपकार्ट एक अग्रणी बिजनेस टू बिजनेस ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो छोटे, मझोले और वृहद् व्यवसाय को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यहां पर खुदरा और

बड़े कारोबारी कारोबार करने के अनेक अवसर पाते हैं। किसान किसी भी तरह का कृषि उपकरण खरीदने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। एग्रोस्टॉर भारत का पहला तकनीकी स्टार्टअप है। यह प्लेटफॉर्म किसानों की कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान पेश करता है। इस प्लेटफॉर्म पर मिस्डकाल या ऐप के ज़रिए किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहां किसानों के फायदे के लिए कृषि से जुड़े लेख, समाचार एवं महत्वपूर्ण कृषि जानकारियां पोस्ट की जाती हैं, जबकि स्काईमेटवेदर प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।

बैंक एमएसएमई कारोबारियों को संपत्ति के एवज़ में ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य डीलरों को ऋण, वेयरहाउस रिसीट पर ऋण अर्थात वेयरहाउस में रखे अनाजों के बदले ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी ऋण, दाल, चावल, चीनी, कपड़ा आदि मिलों के लिए ऋण, ग्रामीण बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण, दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैयक्तिक ऋण, ग्रामीण क्षेत्र में क्लीनिक खोलने के लिए डॉक्टर प्लस ऋण, स्कूल या महाविद्यालय खोलने के लिए ऋण आदि उपलब्ध कराते हैं।

आज ग्रामीण क्षेत्र में कोर्पोरेट टाईअप के ज़रिए किसान अपनी फसलों या कृषि उत्पादों को सीधे कोर्पोरेट्स को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें स्थानीय मंडी जाने की जरुरत नहीं होती है और न ही ढुलाई पर खर्च करना पड़ता है। कोर्पोरेट्स सीधे खेत–खलिहान या घर से अनाज या कृषि उत्पाद स्थानीय मंडी से ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में टाटा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, सर दोरावजी टाटा एंड एलाइड ट्रस्ट, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जुबिलेंट कंज़्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, सेव सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अधिकार माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, विलेज माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड आदि कोर्पोरेट्स कार्यरत हैं, जिनका काम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़े किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं छोटे कारोबारियों के साथ कारोबार करना है।

इन कोर्पोरेट्स के आने से किसानों एवं ग्रामीण कारोबारियों को बिचौलिये को कमीशन नहीं देना पड़ता है तथा उन्हें अनाजों, कृषि उत्पादों, पशु, मछली, कुक्कट आदि बेचने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ता है। चूंकि, ये कार्पोरेट्स बैंक के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार करते हैं, इसलिए, कोर्पोरेट्स के साथ कारोबार में पारदर्शिता बनी रहती है। साथ ही, किसानों और ग्रामीण कारोबारियों का शोषण करना भी मुमकिन नहीं होता है और किसानों तथा ग्रामीण कारोबारियों को बैंक से आसानी से ऋण भी मिल जाता है। बैंक किसानों को ज़मीन खरीदने, एग्री क्लीनिक खोलने, पॉली हाउस बनाने, कम्बाईंड हार्वेस्टर खरीदने, पशुपालन, मछलीपालन, मशरूम की खेती करने, कुक्कट पालन, सुअर पालन, बागवानी, बकरीपालन, सेरीकल्चर, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, ट्रैक्टर, पंपसेट व पाईपलाइन खरीदने आदि के लिए भी ऋण देते हैं।

निष्कर्ष

सरकार ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहती है, जिससे किसानों की एक निश्चित आमदनी को सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रक्रिया में किसानों का शोषण भी न हो। साथ ही, सरकार कृषि से जुड़े जोखिमों को भी कम करना चाहती है। जोखिम रहित खेती–किसानी से किसानों का मनोबल बढ़ेगा और वे पूरे मनोयोग से खेती–किसानी कर सकेंगे।

'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2019 ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशइल इन्क्लूज़न रिपोर्ट' में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को लेकर माहौल में सुधार हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए सबसे अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के निर्धारित मानदंडों पर भारत ने शत–प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ही संभव हो सका है। मौजूदा समय में ग्रामीण तेज़ी से बैंकों से जुड़ रहे हैं। तीन जुलाई, 2020 तक इस योजना के तहत 39.57 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले जा चुके थे, जिनमें 1.33 लाख करोड़ रुपये जमा थे। आजकल सरकारी बैंक कारोबारी प्रतिनिधि और कस्टमर सर्विस पॉइंट (सीएसपी) या छोटे बैंक की मदद से बैंकिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी प्रतिनिधि ग्राहक और बैंक के बीच कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। **देशभर में 1.26 लाख बैंक मित्र आज गांव–गांव घूमकर ग्रामीणों को शाखारहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।**

बैंक से नहीं जुड़े होने के कारण ग्रामीण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो महाजन, सूदखोर, साहूकार आदि की शरण लेते हैं या फिर किसी चिट–फंड कंपनी की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आगाज़ से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही, बीमा एवं पेंशन की सुविधा मिलने से उनके मन–मस्तिष्क से भविष्य के लिए चिंता ख़त्म हुई हैं।

देश में लगभग 1.30 लाख से अधिक बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और मार्च, 2019 तक देशभर में 2.21 लाख एटीएम थे। बैंक से ग्रामीणों के जुड़ने की वजह से ही बैंक किसानों और लघु, छोटे एवं मझोले कारोबारियों को विविध प्रकार का ऋण दे रहे हैं। बैंक, ग्रामीणों को वित्तीय रूप से साक्षर भी कर रहे हैं। साथ ही, उन्हें कैसे अधिकतम लाभ मिल सकता है, इससे भी अवगत करा रहे हैं। निसंदेह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके सहयोग से ही ग्रामीणों को 'आत्मनिर्भर' बनाया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाई जा सकती है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर केंद्रित पत्रिका 'आर्थिक दर्पण' के संपादक हैं।)

ई–मेल : singhsatish@sbi.co.in

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास

–संतोष पाठक

किसानों तक सीधे सरकारी नकदी सहायता पहुंचाने के साथ–साथ सरकार कृषि और इससे जुड़े तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए भी समग्र योजना बना कर काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना पेश की गई। इस फंड से कृषि उपज के भंडारण, वैल्यू एडिशन सहित कई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत और खुशहाल किसान के सपनों को साकार करने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस तरह के उद्योगों के साथ जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया जाए।

कोरोना संकटकाल ने एक बार फिर से भारत के लिए खेती–किसानी के महत्व को साबित कर दिया। कोविड संकट में, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, तब भारत के किसानों ने गांवों में उपलब्ध साधनों से ही बंपर पैदावार की, लॉकडाउन में फसल कटाई का काम सामान्य गति से जारी रहा और उपार्जन भी पिछली बार से अधिक रहा। खरीफ की फसलों की बुवाई भी पिछली बार से 45 प्रतिशत अधिक रही। संकट की इस घड़ी में भारतीय किसानों की क्षमता और उद्योग जगत के प्रयास इस तथ्य के माध्यम से भी स्पष्ट होते हैं कि इस वर्ष खरीफ बुवाई का क्षेत्र 316 लाख हेक्टेयर रहा है, जबकि यह पिछले वर्ष 154 लाख हेक्टेयर और पिछले पांच वर्षों के दौरान औसतन 187 लाख हेक्टेयर ही रहा था। ये सब किसानों व हमारे गांवों की ताकत को प्रदर्शित करता है।

भारतीय किसान–अर्थव्यवस्था की नींव

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार और कृषि के तमाम जानकारों का यह मानना है कि इस क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर सरकारी और निजी निवेश की ज़रूरत इस बात की भी है कि किसान अपनी खेती का दायरा बढ़ाए और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करें। यह इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि देश–दुनिया में खेती किसानी का तेजी से विस्तार होता जा रहा है और सामान्य फसलों की खेती की बजाय इससे संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान देने से ज्यादा आमदनी होती है।

वर्तमान केंद्रीय सरकार भी यह मान रही है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब किसान सिर्फ खेती की बजाय बागवानी, पशु–पालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे कामों को भी योजनाबद्ध तरीके से करे। सरकार इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां, किसानों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं तो वहीं साथ ही दूसरी तरफ केंद्र सरकार इनसे जुड़े हुए आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर भी काम कर रही है, योजनाएं बना रही है और इसके लिए फंड भी मुहैया करा रही है। कई योजनाओं की घोषणा तो सरकार ने पहले ही बजट भाषण में

कर दिया था लेकिन कोरोनो संक्रमण काल में हिचकोले खा रही अर्थव्यवस्था खास तौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिस पर शहरों से हुए अचानक पलायन ने बोढ़ और ज्यादा बढ़ा दिया है को मज़बूती देने के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया। क्योंकि केंद्र की सरकार को इस बात का अहसास बखूबी है कि पूंजीवाद, उदारीकरण और शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद वर्तमान में भी देश की आबादी के 50 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को कृषि क्षेत्र से ही आजीविका मिलती है यानि देश की आधी आबादी से ज्यादा की जनसंख्या आज भी अपने जीवन–यापन के लिए किसी न किसी रूप में खेती–किसानी से जुड़ी हुई है भले ही उसके रूप अलग–अलग हो। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय कृषि की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत के लगभग है।

भारतीय कृषि का बढ़ता दायरा–सरकारी मदद

भारतीय कृषि का क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है। आज के संदर्भ में जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो इसमें कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य उद्योग समेत वो तमाम क्षेत्र आते हैं जिनसे किसी न किसी प्रकार किसानों को आमदनी होती है। किसानों तक सीधे सरकारी नकदी सहायता पहुंचाने के साथ–साथ सरकार कृषि और इससे जुड़े तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए भी समग्र योजना बना कर काम कर रही है।

मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि राहत पैकेज की यह तीसरी किस्त मुख्यतौर पर कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए ही जारी की जा रही है। वास्तव में राहत पैकेज की इस तीसरी किस्त के ज़रिए भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों को कोरोना संकट से बचाने और उबारने की कोशिश की गई। सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी साफ–साफ नजर आ रही थी कि कोरोना महामारी को देश में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन सहित जितने भी कदम उठाए थे, उसका असर खेतों में उत्पादन से लेकर फसलों की बुआई–कटाई और मंडी में बेचने तक नकारात्मक रूप से पड़ा था और यह साफ–साफ नजर भी आ रहा था। इसी को देखते हुए आगे चलकर भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक गाइडलाइन जारी कर कृषि से जुड़े कई क्षेत्रों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए छूट देने का निर्देश दिया था।

आत्मनिर्भर भारत – वोकल फॉर लोकल अभियान

इन निर्देशों के साथ–साथ ही भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के ज़रिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना भी बना रही थी जिसका ऐलान यह तीसरी किस्त जारी करते समय और उसके बाद कई मंचों से किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से इसकी कमान संभालते नजर आए और उन्होने किसानों को सीधे संबोधित भी किया। तीसरी किस्त जारी करते समय वित्त मंत्री ने 11 ऐलान

किए जिनमें से 8 सीधे तौर पर कृषि और कृषि की आधारभूत संरचना क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अन्य 3 ऐलान सुशासन और सुधार से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर आर्थिक पैकेज की इस तीसरी किस्त में किसानों को 1.65 लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने की योजना पेश की गई।

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मज़बूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना पेश की गई। इस फंड से कृषि उपज के भंडारण, वैल्यू एडिशन सहित कई गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। योजना का स्वरूप इस तरह से बनाया गया ताकि किसानों से जुड़े उत्पादक संघ और कोऑपरेटिव सोसायटी भी इसका लाभ उठा सकें।

खाद्य प्रसंस्करण से बढ़ती कमाई

आत्मनिर्भर भारत और खुशहाल किसान के सपनों को साकार करने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस तरह के उद्योगों के साथ जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया जाए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ो के मुताबिक भारत में खाद्य प्रसंस्करण 10 प्रतिशत से भी कम होता है लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में तेज़ी से मूल्यवर्धित स्वास्थ्यवर्धक और प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग बढ़ रही है। वैश्विक जैविक बाज़ार प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

लोकल को ब्रांड बनाने का बड़ा अभियान

भारत गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादक देशों में गिना जाने लगा। खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ बागवानी और डेयरी उद्योग में भी भारतीय किसानों की मेहनत ने कमाल कर दिया। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो वह थी भारतीय किसानों की हालत। इसी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया।

किसानों के लिए घोषित किए राहत पैकेज में भारत सरकार ने छोटी खाद्य प्रसंस्कारण इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया। इससे एक तरफ जहां खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली छोटी इकाइयों को फायदा पहुंचना तय माना जा रहा है तो वहीं साथ ही इससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 'लोकल के लिए वोकल' होने का नारा भी साकार हो सकता है। सरकार की इस घोषणा से बिहार में मखाना, कश्मीर में केसर और आंध्र प्रदेश में मिर्च जैसे लोकल उत्पादों की खेती से जुड़े किसानों और छोटी इकाइयों को फायदा होगा। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही आत्मनिर्भर और खुशहाल किसान के सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी।

मत्स्य पालन– आय का बड़ा साधन

20 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा वैसे तो बजट में की गई थी लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए इसे सरकार ने तत्काल लागू करने का ऐलान कर दिया। अगले 5 सालों में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई इस योजना

किसानों को शोषण से बचाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जून 2020 में राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित दो अध्यादेशों को मंज़ूरी दी। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार के फैसलों की घोषणा के बाद राष्ट्रपति ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को जारी किया। इन अध्यादेशों के ज़रिए अंतर–राज्य व्यापार बाधाओं को दूर करके एवं कृषि उपज की ई–ट्रेडिंग प्रदान करके किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पसंदीदा बाज़ार चुनने का विकल्प दिया गया। इससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी और परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

से 55 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी, मछली पालन से जुड़े बुनियादी ढांचों को मज़बूत किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस योजना की वजह से भारत का मछली निर्यात बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलकृषि उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश बन गया है।

किसानों का एटीएम– पशुपालन और डेयरी

पशुपालन, किसानों की आय का हमेशा से ही एक बड़ा ज़रिया रहा है। इसे किसानों के लिए 'एटीएम' की संज्ञा भी दी जाती है। हाल के वर्षों में किसानों में पशुपालन और डेयरी उद्योग के ज़रिए आय बढ़ाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है और इसलिए जब भी सपना किसानों की खुशहाली का देखा जाता है तो इसमें पशुपालन का खासतौर से ध्यान रखा जाता है। इस क्षेत्र में किसानों को आमतौर पर दो समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है– पशुओं की बीमारी और डेयरी उत्पादन का सही से भंडारण ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। कोरोना के संकटकाल में सरकार ने इसका भी खास ध्यान रखा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की राशि की घोषणा करते हुए सरकार ने एक एनिमल हस्बेंडरी डेवलेपमेंट फंड बनाने का ऐलान किया। कैटल फीड अर्थात जानवरों के चारे, मिल्क प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ ही इस फंड का ऐलान किया गया है और जाहिर–सी बात है कि इसका फायदा किसानों को बढ़ती आमदनी के रूप में मिलेगा ही। साथ ही, 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,342 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। इससे दूध देने वाले गाय और भैंस जैसे पशुओं को मुंहपका और खुरपका जैसे रोगों से बचाने में मदद मिलेगी। इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी। अगले डेढ़ वर्षों में लगभग 57 करोड़ मवेशियों को उनके अभिभावक, उनकी नस्ल एवं उत्पादकता का

पता लगाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूनिक आईडी देने की भी योजना तैयार की गई है।

हर्बल खेती और बागवानी पर ज़ोर

खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और डेयरी उद्योग के अलावा हर्बल खेती भी कृषि से जुड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसके ज़रिए किसानों की आमदनी तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ाई भी जा सकती है। आम, लीची जैसे फलों की खेती तो किसान कर ही रहे हैं लेकिन हाल के दिनों में हर्बल खेती के चलन ने भी ज़ोर पकड़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल उत्पादों के लिए कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। 4 हजार करोड़ रुपये की इस योजना से किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान लगाया गया है। सरकार की योजना 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट की खेती करवाने की है।

मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान

आत्मनिर्भर और खुशहाल किसान के सपने को साकार करने के लिए मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना संकटकाल में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही है। इस योजना से 2 लाख मधुमक्खी पालक किसानों की आय बढ़ेगी।

ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार

फल और सब्जियां, किसानों की आय का मुख्य ज़रिया बनती जा रही हैं। कम लागत में इन उत्पादों की खेती होती है। सब्जियां जल्द उग भी जाती हैं और इसकी बिक्री के लिए भी बाज़ार हमेशा उपलब्ध रहते हैं। फलों के उत्पादन में समय लगता है लेकिन एक बार पेड़ बड़ा हो जाने के बाद यह हर साल किसानों को कैश की आमदनी देता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार 'टॉप टू टोटल' के आधार पर कर दिया है। यह तय किया गया है कि सभी फल और सब्जियों के परिवहन पर और स्टोरेज पर अलग–अलग 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। पहले इस योजना में सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर को ही शामिल किया गया था लेकिन अब 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए इस योजना में सभी फलों और सब्जियों को शामिल कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाया जाए ताकि डर और दबाव के कारण किसानों को सस्ते दामों पर अपने उत्पाद को बेचना न पड़े।

सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि कृषि, किसान और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का विकास और उत्थान इस प्रकार किया जाए ताकि किसानों की आय बढ़े। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ सरकारी सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है तो दूसरी ओर खेती–किसानी से जुड़ी आधारभूत सरंचनाओं को मज़बूत बनाने पर भी काम किया जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ किसानों को पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन, हर्बल खेती, बागवानी, सब्जी और फल की खेती की तरफ जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के उचित भंडारण की व्यवस्था को मज़बूत किया जा रहा है और साथ ही, उन्हें किसी भी राज्य में जाकर अपने उत्पादों को बेचने की छूट देने के लिए कानूनी अधिकार भी दिया जा रहा है। कानून के ज़रिए किसानों के हितों की रक्षा करने की सरकार की मंशा अपने आप में काफी हटकर है जो इससे पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। समसामयिक सामाजिक और ग्रामीण परिवेश से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहते हैं।)

ई–मेल : Santoshpathak2401@gmail.com

कोरोना काल में स्वयंसहायता समूहों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

–हेना नकवी

कोरोना के इस दौर में देश को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस दौरान लोगों ने परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाला और विजेता के रूप में भी उभरे हैं। इसके अनेक उदाहरण इस कोरोना काल में दिखाई दिए हैं। इस आपदा में जब समाज के विभिन्न वर्गों के सामने रोज़ी–रोटी का संकट खड़ा हो गया, तब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। 'अनौपचारिक सेक्टर' का दर्जा प्राप्त इन स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों ने इस कठिन समय में देश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरीकों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आपदा को अवसर में बदलने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। विस्तार से जानिए, इस आलेख में।

''स्वयंसहायता समूह निर्धन परिवारों विशेषकर ग्रामीण समाज की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह की हर सदस्या अपने–आप में संकल्प, सामूहिक प्रयासों एवं उद्यमशीलता का प्रेरणादायी उदाहरण है।'' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जुलाई, 2020 को स्वयंसहायता समूहों के साथ संपन्न वीडियो ब्रिज कार्यक्रम में यह उद्‌गम व्यक्त किए।

निसंदेह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में स्वयंसहायता समूहों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। समूह सदस्यों की एकीकृत शक्ति उन्हें सामाजिक–आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना 'दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के माध्यम से देश में स्वयंसहायता समूहों पर आधारित सामाजिक–आर्थिक विकास की मुहिम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम एक निश्चित समय–सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक निर्धन परिवार से कम से कम एक महिला को स्वयंसहायता समूहों एवं समूहों के संघों से जोड़ने की ओर अग्रसर है। इस रणनीति के साथ कार्यक्रम का लक्ष्य लाभार्थी महिलाओं को जीविकोपार्जन के सतत् अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी के कुचक्र से हमेशा के लिए बाहर निकालना है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों (दिल्ली एवं चंडीगढ़ को छोड़कर) में संचालित किए जा रहे इस कार्यक्रम के तहत गठित स्वयंसहायता समूहों की वर्तमान संख्या 63 लाख से अधिक है। ग्रामीण परिवारों की लगभग 690 लाख निर्धन महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। समूह एवं उनके संघ (ग्राम संगठन तथा क्लस्टर–स्तरीय फेडरेशन) इन महिलाओं को उनकी क्षमता, रुचि तथा स्थानीय–स्तर पर उपलब्ध

समूह बैठकें: आर्थिक सशक्तीकरण की ओर पहला कदम

बिहार में स्वयंसहायता समूहों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प के साथ व्यापक–स्तर पर मास्क उत्पादन

एक बचावकारी उपाय के रूप में मास्क के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन–'जीविका' के स्वयंसहायता समूहों द्वारा राज्य के सभी ज़िलों में व्यापक–स्तर पर मास्क का उत्पादन किया जा रहा है। 38 ज़िलों में 540 उत्पादन इकाइयों के तहत बीस हज़ार से भी अधिक परिवार इस कार्य में संलग्न हैं। यह सभी परिवार स्वयंसहायता समूहों से जुड़े हैं। दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले बिहार के कारीगरों (सिलाई का कौशल जानने वाले) को भी इस कार्य से जोड़कर उनके लिए आय के वैकल्पिक स्रोत तैयार किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन इकाइयों द्वारा अब तक दो करोड़ से भी अधिक मास्क तैयार किए जा चुके हैं जिनकी बिक्री से इन उत्पादन इकाइयों को तेरह करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि मास्क की बिक्री बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी संस्थानों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आजीविका मिशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे संगठनों तक हुई है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक अन्य दिलचस्प बात है कि इन मास्क पर मधुबनी पेंटिंग जैसे विख्यात स्थानीय हस्तशिल्पों की छाप देखी जा सकती है।

मास्क पर मधुबनी पेंटिंग

संसाधनों के अनुसार जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करते हैं। समूह सदस्यों की नियमित सामूहिक सूक्ष्म बचत के आधार पर उन्हें समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण प्राप्त होता है। यह ऋण सामूहिक अथवा वैयक्तिक उद्यमों की स्थापना और संचालन में काम आता है और उद्यमों से प्राप्त आय की सहायता से उद्यमी महिलाएं आसान किस्तों पर ऋण अदा करती हैं जिससे उन पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ता और इस सुविधा के साथ वह अपने उद्यमों का विस्तार भी कर पाती हैं। आजीविका मिशन के तहत प्रति समूह दस से पन्द्रह हजार तक के रिवॉल्विंग फंड तथा प्रत्येक समूह/संघ के लिए अधिकतम ढ़ाई लाख रुपये के कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था का उद्देश्य समूहों को आय उत्पादक गतिविधियों की शुरुआत में सहयोग करना है। समूहों को बैंकों से लिंक करने तथा बैंकों से उत्पादक ऋण लेने में भी सहयोग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि तथा गैर–कृषि क्षेत्रों में आय–अर्जक गतिविधियों के लिए चिह्नित परिवारों को प्रशिक्षित करने तथा तकनीकी सहयोग की व्यवस्था भी की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य–पोषण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में भी स्वयंसहायता समूह सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके यह प्रयास गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं की जानकारी, उन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं का प्रोत्साहन करने, सुरक्षित प्रसव की तैयारी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, लाभुक परिवारों से गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को उनके टीकाकरण/अन्य सेवाओं के लिए जुटाने, स्तनपान को बढ़ावा देने, 6–24 माह के बच्चों को पूरक आहार खिलाने, परिवार नियोजन के साधनों को बढ़ावा देने से लेकर किशोरी समूहों को माहवारी स्वच्छता जैसे आवश्यक मुद्दों पर जागरूक बनाने से जुड़े हैं।

स्वयंसहायता समूह के मंच से मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा

समूहों द्वारा अपने सदस्यों को किचन गार्डन लगाने और शौचालय निर्माण जैसे कार्यों के लिए भी ऋण तथा तकनीकी सहयोग दिया जाता है। यही नहीं, शौचालय निर्माण के विभिन्न चरणों तथा नियमित

'दीदी की रसोई': कोरोना काल में क्वॉरंटीन केंद्रों की ओर मदद का हाथ

बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन– 'जीविका' द्वारा राज्य के चार ज़िलों में संचालित 'दीदी की रसोई' द्वारा कोरोना काल में क्वॉरंटीन केंद्रो की ओर मदद का हाथ बढ़ाया गया। इस अनूठी पहल के तहत बक्सर, वैशाली, पूर्णिया तथा शेखपुरा नामक ज़िला अस्पतालों के निकट संचालित क्वॉरंटीन केंद्रों में 'दीदी की रसोई' द्वारा रियायती दरों पर तीन समय के भोजन की आपूर्ति की गई। क्वॉरंटीन केंद्रों में आवासित लोगों के लिए ससमय, पौष्टिक एवं स्वच्छता से बने भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना ज़िला प्रशासन के लिए एक कठिन कार्य था जो दीदी की रसोई के सहयोग से आसान हो गया।

दीदी की रसोई

इस कार्य से जहां एक ओर क्वॉरंटीन केंद्रों में समय पर भोजन की आपूर्ति हो सकी, वहीं इस सूक्ष्म उद्यम को व्यापार–विस्तार के अवसर भी प्राप्त हुए। इस उद्यम की दीदियों द्वारा क्वॉरंटीन केंद्र के लोगों को कोविड–19 के विभिन्न आयामों पर जागरूक बनाने का कार्य भी किया गया। बिहार सरकार, जीविका एवं समूह सदस्यों के सहयोग से स्थापित दीदी की रसोई एक सूक्ष्म उद्यम है जिसका संचालन इन समूह सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में उक्त ज़िलों के ज़िला अस्पतालों के कोरोना आइसोलेशन वॉर्डों में यह सेवा जारी है। दीदी की रसोई स्वयंसहायता समूह के सदस्यों का एक सूक्ष्म उद्यम है।

प्रयोग का समूहों द्वारा समुदाय–आधारित अनुश्रवण किया जाता है। सरकार के सेवा–प्रदाय ढांचों जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा सरकार के सेवादाताओं के साथ एकजुट होकर यह समूह न केवल लाभार्थियों को आवश्यक सेवाओं की जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें इन सेवाओं से जोड़ने में भी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए यह समूह सरकार द्वारा समय–समय पर चलाए जाने वाले अभियानों एवं विशेष कार्यक्रमों में भाग लेकर लाभार्थियों को जुटाने में सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से यह समूह अब सरकार तथा समुदाय के बीच की कड़ी बनकर काम कर रहे हैं। समूहों की यह नवीनतम भूमिका एक पैरोकार की है। साथ ही, इस भूमिका से आजीविका मिशन का एक आवश्यक तत्व, 'अभिसरण' (अर्थात् अधिकतम लाभ के लिए आवश्यक सेवाओं का एक धरातल पर आना) भी सुनिश्चित होता है। समूहों के यह प्रयास जागरूकता निर्माण और पैरोकारी के अलावा समुदाय का व्यवहार सकारात्मक रूप से बदलने की ओर भी अग्रसर हैं। इन प्रयासों से समाज के अति महत्वपूर्ण वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों तक आवश्यक सेवाएं पहुंच रही हैं जिससे कुल मिलाकर समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार आ रहा है।

किसी भी प्रकार की आपदा में अपने समुदाय की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाना भी इन स्वयंसहायता समूहों की पहचान है। भारत में कोविड–19 महामारी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न भागों में यह समूह अपने–अपने तरीके से इसके विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार कोरोना काल में देश के 90 प्रतिशत से अधिक ज़िलों में स्वयंसहायता समूह मास्क, सैनिटाइज़र तथा पी.पी.ई. किट के उत्पादन में लगे हैं। पी.आई.बी. के अनुसार 12 अप्रैल, 2020 तक 27 राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 78,000 स्वयंसहायता समूह सदस्यों द्वारा दो करोड़ से भी अधिक मास्क का उत्पादन किया जा चुका था। विभिन्न राज्यों के समूहों द्वारा हजारों पी.पी.ई. किट का निर्माण किया गया है जबकि 9 राज्यों के तहत समूहों द्वारा संचालित 900 सूक्ष्म उद्यमों द्वारा तकरीबन हजारों लीटर हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन किया गया है। समूहों द्वारा इस प्रकार के उत्पादन का सिलसिला अनवरत जारी है जो इस महामारी के विरुद्ध उनकी कटिबद्धता को दर्शाता है। आवश्यक सावधानी तथा स्वच्छता के साथ तैयार किए गए यह उत्पाद अपने–अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक किफायती दरों पर बिना किसी जटिल प्रक्रिया के पहुंचाए जा रहे हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, अनेक राज्यों में यह समूह जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामुदायिक रसोई, जागरूकता अभियान तथा बैंकिंग/पेंशन संबंधी सेवाओं को सुगम बनाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। पी.आई.बी के अनुसार अप्रैल 2020 तक देश के पांच राज्यों (बिहार, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश तथा ओडीशा) में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जा चुकी थी। इन राज्यों के 75 ज़िलों के 70,000 से अधिक निर्धन लोगों को अप्रैल 2020 तक दिन में दो बार सामुदायिक रसोई द्वारा भोजन कराया गया।

कोविड–19 के दौरान सरकार द्वारा दी जा रही विशेष वित्तीय सहायता को ग्रामीण जनों तक पहुंचाने में बैंक सखी/व्यापार सखी नामक समुदाय–आधारित कैडर की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। यह दोनों प्रकार की सखियां स्वयंसहायता समूहों की सदस्याएं होती हैं जिन्हें विशेष प्रशिक्षण द्वारा इस काम के लिए तैयार किया गया है। इन सखियों के सहयोग से 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना', 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान' जैसी योजनाओं के लाभ कोरोना काल में भी लाभार्थियों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। इस प्रक्रिया में इन

सखियों द्वारा सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग जैसी आवश्यक सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

इस महामारी में अति निर्धन परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए समूहों द्वारा खाद्य सुरक्षा अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसके तहत विभिन्न परिवारों से जरुरी सामान जुटाकर जरुरतमंद परिवारों के बीच बांटा जा रहा है। यहां बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन– 'जीविका' के 'एक मुट्ठी अनाज' अभियान का उल्लेख करना आवश्यक है। बिहार के जीविका समूहों ने इस कार्यक्रम के तहत घर–घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया। यह अनाज ऐसे ज़रुरतमंद परिवारों में बांटा गया, जिनकी आजीविका इस कोरोना काल में समाप्त हो गई थी।

समूह के सदस्यों द्वारा जनवितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) को भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस सहयोग के तहत समूह के सदस्य अपने–अपने क्षेत्र के परिवारों के राशनकार्ड एकत्र करते हैं तथा राशन दुकानों से राशन एकत्र कर संबंधित परिवारों तक पहुंचाते हैं। इस कदम का उद्देश्य राशन दुकानों में भीड़ को न लगने देना और इस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है। समुदाय–स्तर पर कोविड–19 के खिलाफ जागरूकता निर्माण में भी इन समूहों की महती भूमिका है। समूह के सदस्य मोबाइल फोन, दीवार लेखन, वॉट्सएप, रंगोली जैसे माध्यमों से सामाजिक दूरी, मास्क लगाने, नियमित रूप से हाथ धोने जैसे मुद्दों पर समुदाय को जागरूक बना रहे हैं। बिहार में 'मोबाइल वाणी' नामक एक संवादात्मक श्रव्य माध्यम से विषय–मूलक संदेश दिए जा रहे हैं तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा समुदाय के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। स्वयंसहायता समूहों द्वारा समुदाय के लोगों का फोन नम्बर जुटाने में सहयोग दिया जा रहा है।

कोरोना काल में भी सरकार द्वारा इन समूहों के सुदृढ़ीकरण के प्रयास अनवरत जारी हैं। सरकार के विशेष पैकेज द्वारा रिवॉल्विंग फंड की राशि बढ़ाई गई है और बैंक लिंकेज में भी कई प्रकार की रियायतें बढ़ाई गई हैं। बैंकों से इन समूहों को दिए जाने वाले ऋण की वित्तीय सीमाओं में भी रियायत दी गई है। इसका अर्थ है, अब इन समूहों को नई गतिविधियां या उद्यम चलाने के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी। कोरोना काल में जो प्रवासी श्रमिक परिवार अपने मूल राज्य लौटे हैं, उन परिवारों की वयस्क महिलाओं के समूह राज्यों के आजीविका मिशनों द्वारा बनाए जा रहे हैं या इन महिलाओं को पहले से चल रहे समूहों से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वयंसहायता समूहों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कुछेक अन्य उपाय भी सुझाए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से जूझने के लिए स्वयंसहायता समूहों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आयामों पर नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा हर स्वयंसहायता समूह में इस विषय पर एक प्रशिक्षक–दल की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही, इस दल का ज़िला–स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति में समावेशन भी किया जा सकता है ताकि किसी भी आपदा के समय यह दल ज़िला प्रशासन को आपदा प्रबंधन में सहयोग कर सकें। आपदा के समय सक्रिय समूह सदस्यों की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा के साथ–साथ 'जीवट' (साहस) बीमा का प्रावधान भी होना चाहिए। जीवट बीमा कुछ ऐसा हो सकता है जो आपदा से जूझने के दौरान समूह सदस्यों के सामने उत्पन्न जीवन के न्यूनतर संकटों जैसे संक्रमण, दिव्यांगता, जीविका पर संकट आदि से उबरने में उनकी सहायता कर सके। आपदा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वयंसहायता समूहों के लिए ज़िला या राज्य–स्तर पर 'जीवट श्री' जैसे पुरस्कार के बारे में भी सोचा जा सकता है।

अपने सदस्यों को गरीबी के कुचक्र से निकालकर यह स्वयंसहायता समूह आज अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में उभरे हैं। उनके यह प्रयास समुदाय की स्थिति बदलने की ओर अग्रसर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 'परिवर्तन दूत' की भूमिका निभाकर यह समूह सरकार के सहयोग–तंत्र के रूप में भी पहचान बना रहे हैं।

(लेखिका पी.सी.आई नामक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में वरिष्ठ संचार प्रबंधक हैं।)

ई–मेल : hena.naqvipti@gmail.com

आपदा को अवसर में बदलें

सही अप्रोच से, सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में, विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है। अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं–महिलाओं ने अपने टेलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है, और देखते–ही–देखते, ये खूब पोपुलर हो गए हैं। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परम्परा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोज़गारी भी दे रहे हैं। आप जानते ही हैं नार्थ–ईस्ट में बैम्बू यानी बांस, कितनी बड़ी मात्रा में होता है, अब इसी बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है। बैम्बू से, आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं, और फिर ये बोतलें इको फ्रेंडली भी हैं। इन्हें जब बनाते हैं, तो बांस को पहले नीम और दूसरे औषधीय पौधों के साथ उबाला जाता है, इससे इनमें औषधीय गुण भी आते हैं। छोटे–छोटे स्थानीय प्रोड्क्टस से कैसे बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उदहारण झारखंड से भी मिलता है। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लैमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लैमन ग्रास चार महीनों में तैयार हो जाती है, और, उसका तेल बाज़ार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है।

–प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 26 जुलाई, 2020 को प्रसारित 'मन की बात' के अंश

कोविड योद्धा आशाकर्मी

कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ प्रतिबद्धता

आशा कार्यकर्ता देशभर में कोविड–19 के खिलाफ लक्षणों तथा सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोविड–19 को नियंत्रित करने एवं उसके प्रबंधन की सरकारी कोशिशों में सहायता करने तथा लोगों के बीच विश्वास का संचार करने हेतु आशा कार्यकर्ताओं ने समुदाय के भरोसे एवं स्थानीय सामाजिक कारकों के ज्ञान का उपयोग किया।

देश के अधिकांश हिस्सों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग लाखों आशा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। कोरोना काल में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आशा कार्यकर्ता अपने–अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अपने जागरूकता अभियान के ज़रिए समुदाय–स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया। साथ ही, समुदाय क्वारंटाइन केंद्रों के विकास, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण में पंचायती राज विभाग की सहायता भी की है।

गैर–कोविड अनिवार्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान असाधारण रहा है। आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में आशा कार्यकर्ता सभी व्यक्तियों की लाइन लिस्टिंग, जोखिम आकलन और हाइपरटेंशन, मधुमेह, तीन प्रकार के कैंसरों (ओरल, ब्रेस्ट एवं सरवाइकल कैंसरों), तपेदिक और कुष्ठ जैसी पुरानी बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने में योगदान दे रही हैं। वे गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच) सेवाएं उपलब्ध कराने में, जो लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थीं, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उन्होंने इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता का प्रसार किया है और लोगों तक इसकी सुविधा पहुंचाने में सहायता की है।

कोरोनाकाल में देशभर में आशा कार्यकर्ता योद्धा की तरह गांवों में स्वास्थ्य मोर्चे पर डटी हुई हैं। आशा कार्यकर्ताओं की गहन भागीदारी महामारी को रोकने में रही है जिससे उन्हें इस दौरान परिवार वालों के काफी आक्रोश और प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाली और सामाजिक रूप से जागरूक करने वाली, समुदाय–स्तर पर देखभाल उपलब्ध कराने वाली तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए संपर्क कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दृढ़ता के साथ जारी रखी।

राजस्थान की आक्ज़ीलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) की सहायता के साथ आशा कार्यकर्ताओं के योगदान ने आठ करोड़ परिवारों में लगभग 39 करोड़ लोगों की सक्रिय निगरानी और उन तक सूचना प्रसार संभव बनाया। इन सभी के बीच में तथा बिना लक्षण वाले लोगों के प्रति सचेत रहते हुए, आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं, नवजातों तथा बच्चों की देखभाल करने का कार्य भी जारी रखा। जहां एंबुलेंसों की उपलब्धता नहीं थी, वहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की।

मेघालय में कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकने में आशा जैसी स्वास्थ्य क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड–19 के खिलाफ राज्य सरकार की लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की सशक्त भूमिका रही है। लगभग 6700 आशा कार्यकर्ताओं को कोविड विलेज हेल्थ अवेयरनेस एंड एक्टिव केस सर्च टीमों का हिस्सा बनाया गया। इन टीमों ने कोविड–19 के खिलाफ निवारक उपायों जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना/चेहरे को ढकना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई और साथ ही सक्रियता से संक्रमण के मामलों का पता लगा कर लोगों को परीक्षण और उपचार के लिए समय पर पहुंच की सुविधा भी प्रदान की।

मेघालय : कोविड से निपटने के अभियान में लगी आशाकर्मी

ओडिशा में लगभग 46,627 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन बनकर उभरी हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गांव कल्याण समितियों और शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समितियों के साथ मिलकर काम करते हुए देखा जाता है, इन्हीं सामुदायिक सामूहिकता के तहत आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। उन्होंने इन मंचों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों

पर बाहर निकलने के दौरान मास्क/फेस कवर लगाने, लगातार हाथ धोने के प्रति चौकस रहने, सामाजिक दूरी (एक–दूसरे से दूरी बनाए रखना) के नियमों का पालन करने, कोविड के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे कोविड निवारक कार्यों को बढ़ावा देने में किया।

ओडिशा की आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कांथा (ग्रामीण–स्तर पर दीवार) पर पुस्तिका और पोस्टर के वितरण जैसी आईईसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों में इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है।

कर्नाटक की 42,000 आशा कार्यकर्ता कोविड–19 का मुकाबला करने में राज्य के सफल प्रयासों की एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी हैं। ये कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों, प्रवासी श्रमिकों और समुदाय के अन्य लोगों में कोविड–19 के लक्षणों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से घरेलू सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग के कार्यों में भाग ले रही हैं। इन्होंने आबादी के कुछ विशेष समूहों में कोविड संक्रमण के खतरे की ज्यादा संभावना का पता लगाने के लिए घर–घर जाकर वहां रहने वाले बुजुर्गों, पहले से कई बीमारियों से पीड़ित लोगों और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए करीब 1 करोड़ 59 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया।

झारखंड में 'सहिया' के नाम से जानी जाने वाली आशाकर्मी विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग करती हैं। राज्य में लगभग 42,000 सहिया हैं, जिन्हें 2260 सहिया साथियों (आशाकर्मियों), 582 ब्लॉक प्रशिक्षकों, 24 जिला सामुदायिक मोबलाइज़र और एक राज्य–स्तरीय सामुदायिक प्रक्रिया संसाधन केंद्र की ओर से मदद मिलती है। कार्यक्रम की शुरुआत से ही जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाने में सहियाओं की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया है और उसे समुचित महत्व दिया गया है।

मार्च 2020 से ही सहिया कोविड–19 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इनमें कोविड–19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलते समय मास्क/फेस कवर का उपयोग करना। खांसी और छींकने आदि के दौरान उचित शिष्टाचार का पालन करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लाइन लिस्टिंग जैसे नियमों का पालन करना आदि शामिल हैं।

झारखंड की आशा या सहिया, जिन्होंने मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सक्रिय सहयोग किया, कोविड–19 संबंधित गतिविधियों में भी बढ़–चढ़ कर सहयोग दिया।

देश में कोविड–19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों से प्रवासी आबादी के प्रवेश के साथ, उत्तर प्रदेश की बड़ी

झारखंड :सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सहिया

चुनौतियों में एक, लौटने वालों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं ग्रामीण आबादी में इस बीमारी के प्रसार को रोकना था। आशा कार्यकर्ताओं ने इस संकट के दौरान कोविड–19 प्रबंधन सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस विशाल प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की 1.6 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने दो चरणों में–पहले चरण में 11.24 लाख एवं दूसरे चरण में 19.19 लाख लौटने वाले लगभग 30.43 लाख प्रवासियों का पता लगाया। उन्होंने कांटैक्ट ट्रेसिंग एवं समुदाय–स्तर पर निगरानी में सहायता की। राज्य में ग्राम प्रधान के तहत सभी गांवों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है। समिति के सदस्य/स्वयंसेवी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं के संपर्क में रह कर पहरेदारी करते हैं और उन्हें गांव में प्रवासियों के बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं जो इसके बाद प्रवासियों से जुड़े अनुवर्ती कार्रवाइयों में उनकी सहायता करती हैं।

निसंदेह देशभर में आशा कार्यकर्ताओं ने बचाव संबंधी उपायों जैसेकि साबुन और पानी के साथ नियमित रूप से हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क लगाने के महत्व एवं समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि के बारे में समुदायों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। उनकी कोशिशों के परिणामस्वरूप, अनिवार्य एवं गैर–अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं तथा इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, के बारे में काफी जागरूकता आ गई है। जब वे अपनी ड्यूटी पर जाती हैं तो आशा कार्यकर्ताओं को मास्क तथा साबुन/सैनिटाइज़र जैसे मूलभूत प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराए जाते हैं।

स्रोत : ट्वीटर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्तियां

(सौजन्य : कुरुक्षेत्र टीम)

ए–आई आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत

कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, कुशल कार्यबल के बाज़ार में मांग–आपूर्ति के अंतर को पाटने और नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की खोज में मदद करने के मामले में सूचना प्रवाह की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 15 जुलाई, 2020 को **'आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मानचित्रण (असीम)' पोर्टल** लॉन्च किया। विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक कुशल कार्यबल की भर्ती के अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–आधारित प्लेटफॉर्म को उद्योग–संबंधित कुशल कार्यबल प्राप्त करने और कोविड के बाद की स्थितियों में उभरते नौकरी के अवसरों का पता लगाने में कार्यबल की मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

असीम : आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण

- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई पाटने के लिए एआई– आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की;**
- **यह पोर्टल क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांगों के अनुरुप श्रमिकों के ब्यौरे इकठ्ठा करेगा;**
- **भारत में विभिन्न राज्यों से अपने घरों को लौटे श्रमिकों तथा वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों के, जिन्होंने कौशल कार्ड भरे हैं, के डाटाबेस को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है;**
- **उम्मीदवारों के डाटा को शुल्क आधारित कार्यक्रमों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना "सीखो और कमाओ" के साथ एकीकृत किया जाएगा।**

काम–काज की तेजी से बदलती प्रकृति और इसके द्वारा कार्यबल किस तरह से प्रभावित होगा यह बात कोविड महामारी के बाद के समय में कौशल युक्त पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल के अंतर की पहचान करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करने के अलावा, असीम पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनके लिए भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

असीम पोर्टल ASEEM https://smis.nsdcindia.org, जो मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, को बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटरप्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा विकसित और प्रबंधित किया गया है। असीम पोर्टल का उद्देश्य है प्रोग्रामेटिक उद्देश्यों के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न रुझानों और विश्लेषणों के माध्यम से समर्थन और नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना है। असीम पोर्टल एनएसडीसी और इससे जुड़े क्षेत्र कौशल परिषद को वास्तविक समय डेटा एनालिटिक्स प्रदान करने में मदद करेगा, जिसमें उद्योग आवश्यकताओं, कौशल अंतर विश्लेषण, मांग प्रति जिला/राज्य/क्लस्टर, प्रमुख कार्यबल आपूर्तिकर्ता, प्रमुख उपभोक्ता, माइग्रेशन पैटर्न सहित आपूर्ति और पैटर्न जैसी बातें शामिल होंगी। इसके ज़रिए उम्मीदवारों के लिए कैरियर की कई संभावनाएं बनेंगी। पोर्टल में तीन आईटी आधारित इंटरफेस हैं–

नियोक्ता पोर्टल– नियोक्ता ऑनबोर्डिंग, डिमांड एग्रीगेशन, उम्मीदवार का चयन

डैशबोर्ड– रिपोर्ट, रुझान, विश्लेषण और अंतर को प्रमुखता से दिखाना

उम्मीदवार आवेदन – उम्मीदवार का प्रोफ़ाइल बनाना और ट्रैक करना, नौकरी का सुझाव देना

असीम का उपयोग उपलब्ध नौकरियों के साथ कुशल श्रमिकों का मिलान करने के लिए मैच–मेकिंग इंजन के रूप में किया जाएगा। पोर्टल और ऐप में नौकरी की भूमिकाओं, क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पंजीकरण और डेटा अपलोड का प्रावधान होगा। कुशल कार्यबल इस ऐप पर अपनी प्रोफाइल पंजीकृत कर सकते हैं और अपने पड़ोस में रोज़गार के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। असीम के माध्यम से, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की तलाश करने वाले नियोक्ताओं, एजेंसियों और जॉब एग्रीगेटर्स के पास सभी आवश्यक विवरण एक ही जगह मिलेंगे। यह नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाएगा।

स्रोत : पीआईबी

जानिए देश का गौरवशाली इतिहास प्रकाशन विभाग की पुस्तकों से

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

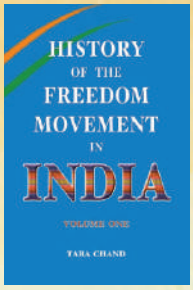

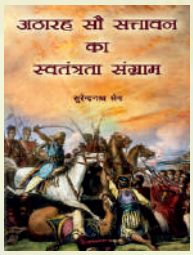

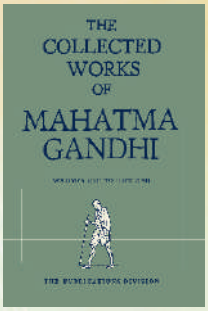

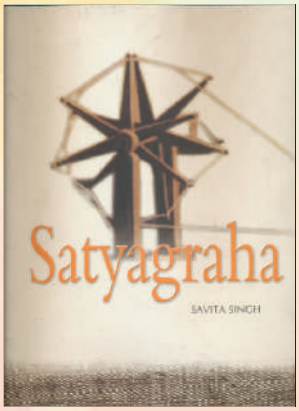

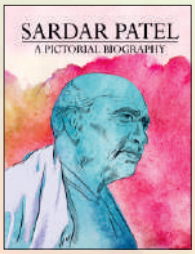

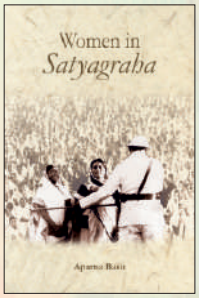

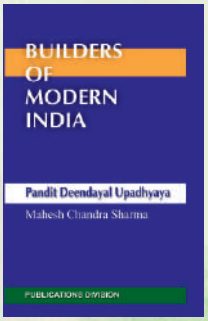

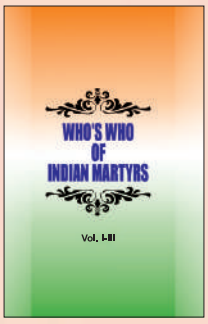

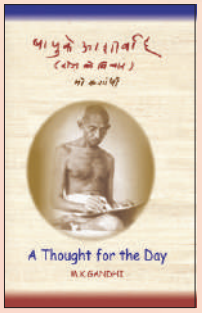

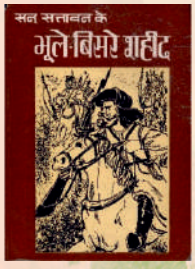

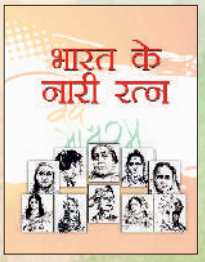

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ऑर्डर के लिए संपर्क करें-

फोन : 011-24367260, 24365610, ई मेल : businesswng@gmail.com

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं

ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 अगस्त, 2020 को प्रकाशित एवं 5-6 अगस्त, 2020 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें @ DPD_India

प्रकाशक और मुद्रकः मोनीदीपा एम. मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादकः ललिता खुराना